खण्ड-457, अंक-10
गुरुवार, 20 चैत्र, शक संवत् 1928
(23 मार्च, 2006 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(चौदहवीं विधान सभा, तृतीय सत्र 2005)

खण्ड 457 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

2006

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क-घ
प्रश्नोत्तर	1-10
कार्य सूची के प्रश्नों के सम्बन्ध में सूचना	10
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	11
मेरठ को आदर्श जनपद घोषित करके आधारभूत सुविधाओं की कमी की पूर्ति करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	12
गिद्ध प्रजाति के संरक्षण हेतु हरियाणा की भांति प्रदेश में शोध केन्द्र खोले जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	12-13
जनपद लखीमपुर खीरी में शारदा नदी के पचपेड़ी घाट पर पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	13
कन्नौज के ब्लाक जलालाबाद के काली नदी के कूल्हापुर घाट पर पक्का पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	13
लखनऊ के मलिहाबाद क्षेत्रान्तर्गत माल दुबग्गा रोड को गड्ढा मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	13-14
जनपद हरदोई के बिलग्राम सांडी एवं हरपालपुर में फायर ब्रिगेड स्टेशन खोले जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	14
आजमगढ़ के निजामाबाद क्षेत्रान्तर्गत मण्डी परिषद् से ऊंचा गांव सड़क को लेपन स्तर तथा निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	14
आजमगढ़ में विधान सभा क्षेत्र लालगंज में चयनित समग्र ग्रामों में गतवर्ष लेपन स्तर तक कराये गये कार्यों की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	14-15
जनपद सीतापुर में ढखिया से चतुरैया होते हुए निमचैना बीड़नपुर जर्जर मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ..	15
जनपद सुल्तानपुर के जयसिंहपुर में ग्राम सभा रामनाथ का पुरवा को एस0सी0पी0 के तहत लोक निर्माण विभाग, सुल्तानपुर द्वारा प्रस्ताव न भेजे जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	15
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	16

विषय	पृष्ठ-संख्या
प्रदेश सरकार द्वारा यातायात निरीक्षकों, उप निरीक्षकों, थानाध्यक्षों आदि को वाहन चालान करके वाहन चालकों से धन वसूलने का अधिकार दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	16-17
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2006 (श्री महामहिम राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	17
उत्तर प्रदेश मोटर कराधान (संशोधन) विधेयक, 2006 (श्री महामहिम राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	17-18
उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2006 (श्री महामहिम राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	18
उत्तर प्रदेश गन्ना क्रय कर (संशोधन) विधेयक, 2006 (श्री महामहिम राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	18
उत्तर प्रदेश किंग जार्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2006 (श्री महामहिम राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना) ...	18
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2006 (श्री महामहिम राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना) ..	18
उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2006 (श्री महामहिम राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	19
उत्तर प्रदेश विशेष आर्थिक परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2006 (श्री महामहिम राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना) ...	19
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) विधेयक, 2006 (श्री महामहिम राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना) ...	19
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) सम्बन्धी अधिनियम पर व्यवस्था का प्रश्न उठाने का प्रयास	19-20
मंगलायतन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2006 (पुरःस्थापित) ...	20-21
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (जारी)	21-40
प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति न मिलने के सम्बन्ध में श्री स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर जारी चर्चा का स्थगन	40-41
उत्तर प्रदेश के नगर निगमों द्वारा जनसुविधाओं को उपलब्ध कराने हेतु मार्ग दर्शक सिद्धान्त बनाये जाने के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चर्चा (जारी)	41

Shri Vidhan Parishad

विषय	पृष्ठ-संख्या
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	42
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	43
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	43-44
जनपद गाजियाबाद में रिलायन्स पावर प्रोजेक्ट हेतु किसानों की अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा न दिये जाने के सम्बन्ध में श्री नरेन्द्र शिशौदिया द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य...	44-45
जनपद चन्दौली के रामनगर स्थित स्पंज आयरन कम्पनी द्वारा प्रदूषण फैलाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राम किशुन द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर पर्यावरण मंत्री का वक्तव्य	45-46
वाराणसी महानगर के शिवपुरवा स्थित समरा ताल की जमीन को अनधिकृत रूप से कब्जा किये जाने एवं उस पर आवासीय भवन बनाए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी' द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य ...	46
जनपद प्रतापगढ़ के ग्राम कोहरांव स्थित श्री इन्द्रजीत व श्री रणजीत एवं श्री महादेव के विरुद्ध अनेकों अपराधिक मुकदमें दर्ज होने के बाद भी उनकी गिरफ्तारी न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	46-47
जनपद बस्ती के बहादुरपुर अन्तर्गत महुआ डाबर को पुरातत्व विभाग द्वारा सुन्दरीकरण कराने एवं ऐतिहासिक स्थल घोषित किये जाने के सम्बन्ध में श्री राम करन आर्य द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर पर्यटन मंत्री के केवल वक्तव्य का स्थगन	47
जनपद पीलीभीत के पूरनपुर क्षेत्र में पल्स पोलियो दिवस के दिन प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा उपस्थित न होने के सम्बन्ध में डा0 विनोद तिवारी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य ...	47-48

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

गुरुवार, दिनांक 23 मार्च, 2006

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11.15 बजे अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

(कोरम के अभाव में सदन की बैठक 15 मिनट विलम्ब से आरम्भ हुई)

उपस्थित सदस्य-257

अकीलुर्रहमान खां, श्री	मुरादाबाद
अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली
अजय कुमार, डा0	बागपत
अजीम भाई, श्री	फिरोजाबाद
अताउल रहमान, श्री	बरेली
अनवर महमूद, श्री	बलरामपुर
अनार सिंह दिवाकर, श्री	एटा
अनिल कुमार पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर
अनिल कुमार वर्मा श्री	सीतापुर
अनिल कुमार वर्मा, श्री	हरदोई
अनिल कुमार सिंह यादव, श्री	एटा
अनिल सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
अन्सार अहमद, श्री	इलाहाबाद
अब्दुल मन्नान, श्री	हरदोई
अमरजीत सिंह जनसेवक, श्री	फतेहपुर
अमर सिंह परमार, श्री	आगरा
अमर सिंह यादव पुत्र श्री सुन्दर सिंह, श्री	हाथरस
अम्बिका चौधरी, श्री	बलिया
अम्बेश कुमारी, श्रीमती	महोबा
अयोध्या प्रसाद पाल, श्री	फतेहपुर
अरविन्द कुमार सिंह उर्फ गोप, श्री	बाराबंकी
अरुणवीर सिंह, श्री	बहराइच
अरुणा तोमर, श्रीमती	कानपुर नगर
अवधेश कुमार वर्मा, श्री	शाहजहांपुर
अशोक कुमार कटियार, श्री	कानपुर देहात
अशोक बाजपेयी, डा0	हरदोई
अशोक सिंह चौहान, श्री	मैनपुरी
आदित्य विक्रम सिंह (बोकू सिंह), श्री	सिद्धार्थनगर
आनन्द प्रकाश लोधी, श्री	फतेहपुर
आर0एस0 कुशवाहा, श्री	खीरी
आर0 के0 चौधरी, श्री	लखनऊ
आलम बदी, श्री	आजमगढ़
आलोक कुमार शाक्य, श्री	मैनपुरी
आशा किशोर, श्रीमती	रायबरेली
आशीष यादव, श्री	बदायूं
आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री	बदायूं
इकबाल महमूद, श्री	मुरादाबाद
इन्द्रजीत सरोज, श्री	कौशाम्बी
उज्जवल रमण सिंह, श्री	इलाहाबाद
उदयराज यादव, श्री	उन्नाव
उमा किरन, श्रीमती	मुजफ्फरनगर
उमा शंकर कुशवाहा, श्री	गाजीपुर
ओमकार सिंह यादव, श्री	बदायूं
ओम प्रकाश, श्री	सीतापुर
ओम प्रकाश(ओ0पी0 सिंह), श्री	सुल्तानपुर
ओम प्रकाश पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर
कपिल देव यादव, श्री	मऊ
कल्यान सिंह दोहरे, श्री	कन्नौज
काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, नवाब	रामपुर
कालीचरन राजभर, श्री	गाजीपुर
काशीराम, श्री	रामपुर
किरन पाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
किशन लाल बघेल, सेठ	आगरा
कुतुबुद्दीन अंसारी, श्री	बिजनौर
कुलदीप सिंह सेंगर, श्री	उन्नाव
कृष्ण कुमार उर्फ सतीश वर्मा, श्री	हरदोई
कृष्णा पासवान, श्रीमती	फतेहपुर

कैलाश चौरसिया, श्री	मिर्जापुर
कोविद कुमार, श्री	शाहजहांपुर
कौकब हमीद खां, श्री	बागपत
कौशल किशोर, श्री	खीरी
कौशल किशोर, श्री	लखनऊ
गंगा बक्श सिंह, डा0	उन्नाव
गया चरन दिनकर, श्री	बांदा
गीता सिंह, श्रीमती	बलरामपुर
गुलाब देवी, श्रीमती	मुरादाबाद
घूरा राम, श्री	बलिया
चन्द्रदेव राम यादव, श्री	आजमगढ़
चन्द्रभद्र सिंह, श्री	सुल्तानपुर
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री	श्रावस्ती
चितरंजन स्वरूप, श्री	मुजफ्फरनगर
छोटे लाल यादव, श्री	बाराबंकी
छोटे लाल वर्मा, श्री	आगरा
जंग बहादुर, श्री	सुल्तानपुर
जगदम्बिका पाल, श्री	बस्ती
जगदीश मिश्र बाल्टी बाबा, श्री	कुशीनगर
जगन प्रसाद गर्ग, श्री	आगरा
जगराम सिंह, श्री	मुरादाबाद
जटाशंकर सिंह, श्री	बहराइच
जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री	फर्रुखाबाद
जय प्रताप सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
जयराम विमल, श्री	अम्बेडकर नगर
जियाउद्दीन रिजवी, श्री	बलिया
तेजपाल सिंह, श्री	मथुरा
ददूदू प्रसाद, श्री	चित्रकूट
दयाराम, श्री	कौशाम्बी
दया शंकर वर्मा, श्री	जालौन
दिलीप कुमार वर्मा, श्री	बहराइच
दीनानाथ भाष्कर, श्री	सन्त रविदास नगर, भदोही
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री	देवरिया
देवकी नन्दन, श्री	हाथरस
देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	रायबरेली
द्वारिका प्रसाद, श्री	सन्त कबीर नगर
धर्मपाल सिंह, श्री	बरेली
धर्मराज निषाद, श्री	अम्बेडकरनगर
धर्म सिंह सैनी, डा0	सहारनपुर
धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री	बरेली
नत्थू सिंह, श्री	उन्नाव
नरेन्द्र कुमार, श्री	गौतमबुद्ध नगर
नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, डा0	इलाहाबाद
नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री	सीतापुर
नरेन्द्र सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
परमेश्वर दयाल, श्री	सोनभद्र
पीटर फैन्थम, श्री	नाम-निर्देशित
पीतम राम, श्री	पीलीभीत
पूर्णमासी देहाती, श्री	कुशीनगर
प्रताप चौधरी, श्री	हाथरस
प्रदीप जैन "आदित्य", श्री	झांसी
प्रदीप माथुर, श्री	मथुरा
प्रभु दयाल, श्री	मेरठ
प्रभु नारायण, श्री	चन्दौली
प्रमोद कुमार, श्री	प्रतापगढ़
प्रमोद गौड़, श्री	अलीगढ़
प्रागी लाल अहिरवार, श्री	झांसी
प्रेम पाल सिंह यादव, श्री	बदायूं
प्रेमलता कटियार, श्रीमती	कानपुर नगर
प्रेम सिंह, श्री	मथुरा
फसीहा बशीर, चौधरी (गजाला)	देवरिया
बंशीधर राज, श्री	खीरी
बाबू लाल, श्री	गोण्डा
बाबू लाल कुशवाहा, श्री	बांदा
बिजय सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
बीजू पटनायक, श्री	गाजीपुर
बृजेन्द्र कुमार व्यास (डमडम महराज), श्री	झांसी
बृजेन्द्र प्रताप सिंह कुंवर, एडवोकेट	जालौन
बैजनाथ दुबे, श्री	गोण्डा
भगवत शरण गंगवार, श्री	बरेली
भगेलू राम, श्री	सुल्तानपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

भरत सिंह, श्री	बलिया
भूपेन्द्र सिंह, श्री	बदायूं
मतेश चन्द्र सोनकर, श्री	कौशाम्बी
मदन गोपाल वर्मा, श्री	फतेहपुर
मदन चौहान, श्री	गाजियाबाद
मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री	रायबरेली
मलिक मसूद, श्री	आजमगढ़
मशहूद खां, श्री	बलरामपुर
मस्तराम चौ0, एडवोकेट	उन्नाव
महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री	सीतापुर
महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री	इटावा
महेश त्रिवेदी, श्री	कानपुर देहात
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री	सिद्धार्थनगर
मानपाल सिंह, श्री	एटा
माया प्रसाद, श्रीमती	खीरी
मिथिलेश कुमार, श्री	शाहजहांपुर
मुकुल बिहारी वर्मा, श्री	बहराइच
मुंशीलाल गौतम, श्री	बुलन्दशहर
मूलचन्द्र चौहान, ठाकुर	बिजनौर
मोख्तार अंसारी, श्री	मऊ
मोहम्मद आकिल उर्फ मुन्ना मियां, श्री	मुरादाबाद
मोहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मोहम्मद इरशाद खां, श्री	लखनऊ
मोहम्मद बशीर, चौधरी	आगरा
मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री	इलाहाबाद
मोहम्मद रिजवान, श्री	मुरादाबाद
मो0 शफीर, श्री	फतेहपुर
यशपाल चौधरी, श्री	खीरी
याकूब हाजी	मेरट
योगेन्द्र कुमार, श्री	बदायूं
योगेश प्रताप सिंह उर्फ योगेश भइया, श्री	गोण्डा
रणवीर राणा, श्री	मेरठ
रतन लाल अहिरवार, श्री	झांसी
रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री	कुशीनगर
रमेश चन्द्र बिन्द, डा0	मिर्जापुर
राकेश सचान, श्री	कानपुर देहात
राजनाथ यादव, श्री	वाराणसी
राजपाल सिंह बालियान, श्री	मुजफ्फरनगर
राजपाल सिंह सैनी, श्री	मुजफ्फरनगर
राजरानी रावत, श्रीमती	बाराबंकी
राजलक्ष्मी वर्मा, श्रीमती	बाराबंकी
राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
राजेन्द्र प्रसाद यादव, श्री	लखनऊ
राजेन्द्र सिंह चौहान, श्री	एटा
राजेश कुमार, श्री	खीरी
राधेश्याम जायसवाल, श्री	सीतापुर
राबिया कलाम, श्रीमती	वाराणसी
राम इकबाल सिंह, श्री	बलिया
राम किशुन, श्री	चन्दौली
राम कृपाल, श्री	इलाहाबाद
राम नरेश यादव, श्री	आजमगढ़
रामनाथ, श्री	प्रतापगढ़
राम पाल वर्मा, श्री	हरदोई
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री	कन्नौज
रामबाबू हरित, डा0	आगरा
राम बिशुन आजाद, श्री	गोण्डा
राम मगन, श्री	बाराबंकी
राम लाल अकेला, श्री	रायबरेली
रामवीर सिंह, श्री	फिरोजाबाद
राम सेवक, श्री	सुल्तानपुर
राम स्वरूप सिंह, श्री	कानपुर देहात
राम स्वरूप सिंह, श्री	बिजनौर
रामहेत भारती, श्री	सीतापुर
रामेश्वर सिंह यादव, श्री	एटा
रिजवान अहमद खां, श्री	ज्योतिबाफुलेनगर
रियाज अहमद, श्री	पीलीभीत
लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0	मेरठ
लालजी वर्मा, श्री	अम्बेडकर नगर
वकार अहमद शाह, डा0	बहराइच
विजमा यादव, श्रीमती	इलाहाबाद

विजय बहादुर पाल, श्री	कन्नौज
विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
विद्या चौधरी, श्रीमती	आजमगढ़
विद्या सागर गुप्ता, श्री	लखनऊ
विनय शाक्य, श्री	औरैया
विनोद कुमार यादव उर्फ कक्का, श्री	इटावा
विनोद कुमार सिंह, श्री	जौनपुर
विनोद तिवारी, डा0	पीलीभीत
विमला राकेश, श्रीमती	सहारनपुर
विश्राम सिंह यादव, श्री	हरदोई
वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना", श्री	शाहजहांपुर
वीरेन्द्र सिंह गंगवार, श्री	बरेली
शब्बीर, श्री	बहराइच
शमीमुल हक, श्री	मुरादाबाद
शरदवीर सिंह, श्री	शाहजहांपुर
शहजिल इस्लाम, श्री	बरेली
शाकिर अली, श्री	देवरिया
शारदा देवी, श्रीमती	गोरखपुर
शारदा नन्द अंचल, श्री	बलिया
शाहिद मंजूर, श्री	मेरठ
शिव कुमार बेरिया, श्री	कानपुर देहात
शिव चरन प्रजापति, श्री	हमीरपुर
शिव तपस्या पासवान, श्री	चन्दौली
शिव पाल सिंह यादव, श्री	इटावा
शिव प्रताप यादव, डा0	बलरामपुर
शिवाकान्त ओझा, प्रोफेसर	प्रतापगढ़
शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री	महाराजगंज
शिशुपाल सिंह यादव, श्री	एटा
श्याम सिंह अहेरिया, श्री	मथुरा
श्याम लाल रावत, श्री	सीतापुर
श्याम सुन्दर शर्मा, श्री	मथुरा
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री	इलाहाबाद
श्रीराम भारती, श्री	मिर्जापुर
संजीव दरियाबादी, श्री	कानपुर नगर
संदीप अग्रवाल, श्री	मुरादाबाद
सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री	मेरठ
सदल प्रसाद, श्री	गोरखपुर
सन्ध्या कठेरिया, कु0	मैनपुरी
समरपाल सिंह, श्री	बागपत
सलिल विश्नोई, श्री	कानपुर नगर
सिद्ध गोपाल साहू, श्री	महोबा
सियाराम सागर, डा0	बरेली
सुखदेव राजभर, श्री	आजमगढ़
सुखदेवी वर्मा, श्रीमती	इटावा
सुन्दर लाल, श्री	उन्नाव
सुरेन्द्र कुमार मुन्नी, श्री	गाजियाबाद
सुरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	जौनपुर
सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री	वाराणसी
सुरेश कुमार खन्ना,श्री	शाहजहांपुर
सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री	लखनऊ
सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री	लखनऊ
सुल्तान बेग, श्री	बरेली
सोमारू राम सरोज, श्री	जौनपुर
सोवरन सिंह, श्री	मैनपुरी
स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री	रायबरेली
हरि ओम यादव, श्री	फिरोजाबाद
हरि प्रताप सिंह, श्री	प्रतापगढ़
हीरा लाल गौतम, श्री	आजमगढ़
हुकुम सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर

(सदन में घंटी लगातार कोरम के अभाव में बजती रही। और 11.15 बजे श्री अध्यक्ष के पीठासीन होने पर)

श्री अध्यक्ष-

सदन एक बजे तक के लिये स्थगित किया जाता है।

(गणपूर्ति के अभाव में 11 बजकर 15 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 1 बजे तक के लिये स्थगित कर दी।)

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

जनपद कानपुर की चमड़ा व अन्य फैक्ट्रियों द्वारा उत्प्रवाह सीधे गंगा नदी में डालने के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

श्री श्याम देव राय चौधरी

**1-क्या सरकार को जानकारी है कि कानपुर की अनेक चमड़ा फैक्ट्रियों तथा अन्य फैक्ट्रियों द्वारा ट्रीटमेंट प्लांट न लगाकर उसके उत्प्रवाह को सीधे गंगा नदी में डाला जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसी फैक्ट्रियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पर्यावरण मंत्री (श्री उज्जवल रमण सिंह)-

जनपद कानपुर में जाजमऊ क्षेत्र में चमड़ा (टेनरी) प्रोसेस करने वाले 367 उद्योग चिन्हित हैं जिसमें से क्रोम टैनिंग करने वाले 201 उद्योग वेजिटेबिल टैनिंग करने वाले 51 उद्योग, स्पिलट टैनिंग करने वाले 65 उद्योग तथा 50 उद्योग बन्द है।

क्रोम टैनिंग करने वाले 201 उद्योगों में से 116 उद्योगों द्वारा क्रोम रिकवरी प्लांट की व्यवस्था की गई है तथा 6 उद्योग बन्द हैं। उक्त के अतिरिक्त 4 उद्योगों द्वारा अपनी उत्पादन प्रक्रिया में परिवर्तन किया गया। शेष 75 लघु श्रेणी के उद्योगों हेतु कामन क्रोम रिकवरी संयंत्र की स्थापना की जा रही है, जिसकी कुल लागत रु0 105.27 लाख है, को भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त संयंत्र की स्थापना का कार्य प्रगति पर है जिसके जून, 2006 में ही पूर्ण होने की सम्भावना है।

जाजमऊ क्षेत्र में चमड़ा उद्योगों द्वारा प्राथमिक शुद्धिकरण संयंत्र की स्थापना की गई है तथा 15 इकाइयों में पूर्ण प्राथमिक शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित नहीं है जिनके विरुद्ध बोर्ड द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33-ए के अन्तर्गत बन्दी की कार्यवाही की गयी है तथा दिनांक 24/25 फरवरी, 2006 को उक्त उद्योगों को सीलबन्द भी कर दिया गया है।

जाजमऊ में टेनरी उद्योगों के उत्प्रवाह को द्वितीय चरण में शुद्धिकरण हेतु उ0 प्र0 जल निगम द्वारा 36 एम0 एल0 डी0 क्षमता का संयुक्त संयंत्र बनाया गया है। उक्त संयंत्र तक उत्प्रवाह को ले जाने हेतु कन्वेन्स सिस्टम बनाया गया है जहां से क्रमशः छवीलेपुरवा, शीतरा बाजार, बाजिदपुर एवं बुड़ियाघाट में स्थापित पम्पिंग स्टेशन के माध्यम से उत्प्रवाह को 36 एम0 एल0 डी0 क्षमता के संयुक्त उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र में पम्प किया जाता है तथा शुद्धिकृत उत्प्रवाह यथा आवश्यक सिंचाई में प्रयोग करने हेतु चैनल निर्मित है। कन्वेन्स सिस्टम, पम्पिंग स्टेशन, सी0 ई0 टी0 पी0 का संचालन व रखरखाव गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई उ0 प्र0 जल निगम द्वारा किया जाता है। उपरोक्त के अतिरिक्त कानपुर में 5 अन्य उद्योगों में उचित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित न होने के कारण जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33-ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किये गये हैं।

नोट :-उ0 प्र0 विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम-41 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गये।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

* 1-डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा-

[अस्पष्टता एवं विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में कृषि विकास दर एवं इसके लक्ष्य प्राप्त हेतु उपाय

*1-श्री राम इकबाल सिंह-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कृषि विकास दर कितने प्रतिशत है तथा सरकार का लक्ष्य कितने प्रतिशत कृषि विकास दर प्राप्त करने का है ? लक्ष्य प्राप्त करने हेतु सरकार द्वारा कौन-कौन से उपाय किये जा रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि मंत्री (डा0 अशोक बाजपेयी)-

उत्तर प्रदेश कृषि नीति 2005 के अनुसार 4 प्रतिशत कृषि विकास दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्ष 2004-05 में प्रतिकूल मौसम के कारण विकास दर (-5.213) आंकलित की गयी है। वर्ष 2005-06 में कुल सम्भावित उत्पादन 400.00 लाख मी0 टन है जो वर्ष 2004-05 के कुल उत्पादन 375.84 लाख मी0 टन से 6.43 प्रतिशत अधिक है।

उत्तर प्रदेश कृषि नीति 2005 में सप्त क्रान्ति प्रसार, सिंचाई एवं जल प्रबन्ध, मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता, बीज प्रबन्धन, विपणन, मशीनीकरण एवं शोध तथा कृषि विविधीकरण पर विशेष बल दिया गया है। इसके अन्तर्गत नवीनतम तकनीकी के हस्तान्तरण हेतु आत्मा माडल लागू करने के लिये संगठनात्मक सुधार, जल संरक्षण तथा सिंचाई संसाधनों का इष्टतम उपयोग, मृदा उर्वरता बढ़ाने हेतु एकीकृत पोषक तत्व प्रबन्धन तथा जैविक संसाधनों के उपयोग को बढ़ावा, उन्नत एवं गुणवत्ता युक्त बीज का उपयोग तथा आकस्मिक परिस्थितियों हेतु बीज बैंक की स्थापना, कृषक हितैषी विपणन व्यवस्था तथा कामोडिटी एक्सचेंज की स्थापना, मशीनीकरण को प्रोत्साहन एवं कृषकोन्मुखी तथा बाजारोन्मुखी शोध को बढ़ावा देने के साथ-साथ कृषि विविधीकरण हेतु राज्य स्तरीय मास्टर प्लान तैयार किया जायेगा।

प्रदेश की बन्द चीनी मिलों के साथ जनपद बस्ती की मुण्डेरवा चीनी मिल को चालू कराने की मांग

*2-श्री राम करन आर्य-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश की बन्द चीनी मिलों को चालू करने के लिये शासन द्वारा कोई निर्णय लिया गया है ? यदि हां, तो बस्ती जनपद में मुण्डेरवा चीनी मिल कब तक चालू करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

जी नहीं। केवल रामपुर इकाई को सत्र 2004-2005 में संचालित किया गया।

प्रश्न ही नहीं उठता है।

निगम की मुण्डेरवा चीनी मिल (क्षमता 711 टी0सी0डी0) जनपद बस्ती का अधिग्रहण वर्ष 1984 में हुआ था। तत्समय यह चीनी मिल अत्यन्त अलाभप्रद थी तथा इसके यंत्र व संयंत्रों की दशा भी

काफी जर्जर थी। अतः चीनी मिल के लाभप्रद संचालन हेतु उसके पुनर्वास, आधुनिकीकरण एवं विस्तारीकरण की आवश्यकता थी जो अपेक्षित धनराशि उपलब्ध न होने के कारण सम्भव नहीं हो सका और शासनादेश दिनांक 12-11-99 द्वारा मेरठ, रामपुर, हरदोई, घुघली तथा छितौनी चीनी मिलों एवं मुण्डेरवा को भी स्थायी रूप से बन्द किये जाने का निर्णय लिया गया।

अतारांकित प्रश्न

1-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह मुन्ना-

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

लखनऊ के सदर क्षेत्र में निर्माणाधीन रेलवे क्रासिंग ओवरब्रिज को चालू कराये जाने की मांग

2-श्री रविन्द्र पुण्डीर-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ महानगर के सदर क्षेत्र में रेलवे क्रासिंग के ऊपर नागरिकों के आवागमन हेतु ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य कराया जा रहा है ? यदि हां, तो उक्त ब्रिज का निर्माण कब तक पूरा करके आवागमन चालू कर दिया जायेगा ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

जी हां।

जून, 2006 तक सेतु का कार्य पूर्ण कर आवागमन के लिये उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

जनपद पीलीभीत की तहसील पूरनपुर के ग्रामों की ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जों को हटवाये जाने की मांग

3-डा0 विनोद तिवारी-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील पूरनपुर, जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत ग्राम राजपुर माधौटाण्डा में ग्राम समाज की जमीन से अवैध कब्जेदारों को हटाये जाने सम्बन्धी जिलाधिकारी, पीलीभीत के आदेश दिनांक 16-11-2005 के अनुपालन में तहसीलदार, पूरनपुर द्वारा अवैध कब्जेदारों से कब्जा हटवा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

कलेक्टर पीलीभीत के न्यायालय में विचाराधीन तहसील पूरनपुर जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत ग्राम राजपुर माधोटाण्डा में ग्राम समाज की जमीन से संबंधित वाद संख्या-4/04-05 सरकार प्रति रामकली व अन्य में दायर वाद अन्तर्गत धारा-122 सी जमींदारी विनाश अधिनियम में आदेश दिनांक 3-10-2005 द्वारा ग्राम राजापुर त0 माधो टाण्डा परगना व तहसील पूरनपुर की भूमि पर से अवैध कब्जेदारों को बेदखल करने के आदेश दिये गये। पैमाइश आदि की कार्यवाही के समय जन विरोध के कारण अग्रेतर कार्यवाही नहीं की जा सकी। इस बीच आयुक्त बरेली मण्डल द्वारा अपने आदेश दिनांक 14-12-2005 द्वारा जिलाधिकारी के उक्त आदेश दिनांक 3-10-2005 को स्थगित कर दिया गया। वर्तमान में भी स्थगनादेश प्रभावी है।

स्थगनादेश प्रभावी होने के कारण कोई कार्यवाही सम्भव नहीं है।

जनपद बाराबंकी की तहसील नवाबगंज के ग्राम बोजा के स्व0 श्री जगत नारायण सिंह की भूमि दूसरे के नाम दर्ज करने वाले दोषी अधिकारी को दण्डित करने की मांग

4-श्री बाबू राम, एम0काम0-

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद बाराबंकी, तहसील-नवाबगंज, ग्राम-बोजा के अन्तर्गत स्व0 श्री जगत नारायण सिंह की भूमि गाटा संख्या-15/16 को तत्कालीन चकबन्दी अधिकारी द्वारा श्री चन्द्र प्रकाश सिंह के नाम पारिवारिक समझौता दिखाकर दर्ज कराये जाने के आदेश वर्ष 2002 में दिये गये थे ? क्या श्री चन्द्र प्रकाश सिंह उक्त भूमि पर अभी तक काबिज हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पारिवारिक समझौता दिनांक 22-6-75 की प्रति सदन के पटल पर रखेगी ? क्या सरकार इस अनियमितता की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषी अधिकारी को दण्डित करते हुए उक्त आदेश को निरस्त करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

पूरे प्रकरण की जांच के आदेश चकबन्दी आयुक्त को दे दिये गये हैं। जांचोपरान्त जो दोषी पाया जायेगा, उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र चिलकहर के चयनित ग्रामों को जोड़ने हेतु धन अवमुक्त करने की मांग

5-श्री राम इकबाल सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2003-04 में विधान सभा क्षेत्र चिलकहर, जनपद बलिया के चयनित गांवों को पक्के मार्गों से जोड़ने वाले कितने गांवों के सम्पर्क मार्गों के निर्माण हेतु धन अवमुक्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो लेपन कार्य कब तक पूरा करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

वर्ष 2003-04 में चिलकहर विधान सभा क्षेत्र में समग्र विकास योजना के अन्तर्गत पक्के मार्ग से जोड़ने हेतु 06 ग्रामों का चयन किया गया, जिसमें से वर्ष 2003-04 में 04 तथा वर्ष 2005-06 से 02 ग्रामों को जोड़ने हेतु रु0 91.91 लाख की स्वीकृति प्रदान करके धनराशि रु0 23.97 लाख अवमुक्त किया गया है।

निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने हेतु समय सीमा का निर्धारण किया जाना सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में पूर्वान्चल राज्यांश से स्वीकृत सड़कों को निर्माण हेतु धन अवमुक्त की जानकारी

6-श्री राम इकबाल सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2003-04 में पूर्वान्चल राज्यांश से स्वीकृत सड़कों के निर्माण हेतु कितना धन अवमुक्त किया गया था ? उक्त धन से स्वीकृत सड़कों के निर्माण कार्य को कब तक पूरा कराने का लक्ष्य है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

पूर्वान्चल विकास निधि (राज्यांश) से वर्ष 2003-04 में सड़कों के निर्माण हेतु रु0 5503.166 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी।

अधूरी सड़कों के निर्माण कार्य को पूरा कराया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद भदोही के अन्तर्गत अनेकों मार्गों का निर्माण लो0 नि0 विभाग द्वारा कराये जाने की जानकारी

7-श्री रंगनाथ मिश्रा-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि भदोही जनपद के अन्तर्गत (1) माधौ सिंह महथुआ मार्ग (2) जी0 टी0 रोड से सिउर मार्ग (3) माधौ सिंह से खमरिया मार्ग (4) एल0 डी0 रोड से कठारी मार्ग (5) कठारी से नुआवं मार्ग (6) जी0 टी0 रोड से कैयरमऊ मार्ग (7) उगापुर से महथुआ मार्ग (8) उगापुर से मानिकपुर मार्ग (9) मझमेड़िया से कपसेठी मार्ग (10) बभनोटी से ममहर मार्ग (11) चौरी से गांधी घाट मार्ग (12) लक्षापुर से पचपटिया मार्ग (13) गोपपुर से डेरवा मार्ग (14) बरवां दुरासी मार्ग (15) मुक्तापुर से चकापुर मार्ग (16) तुलापुर से पयागपुर मार्ग (17) संवरपुर से निदूर मार्गों का निर्माण लो0 नि0 विभाग द्वारा कराया गया है ? यदि हां, तो क्या इन मार्गों का अनुरक्षण भी कराया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मुक्तापुर से चकापुर मार्ग का लेपन कार्य वित्तीय वर्ष 2006-07 में जिला योजना से धन प्राप्त होने पर पूर्ण कराया जा सकेगा। शेष मार्ग विभाग द्वारा निर्मित है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार।

जनपद जालौन में पाला से क्षतिग्रस्त फसलों के नुकसान के कारण लम्बित राजस्व वसूली निरस्त करने की मांग

8-डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन में माह जनवरी, 2006 में पाला पड़ने से किसानों की दलहन फसल को शत प्रतिशत नुकसान हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त किसानों की लम्बित राजस्व वसूली निरस्त करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

नियमानुसार राजस्व वसूली स्थगित किए जाने की व्यवस्था अनुमन्य नहीं है।

जनपद व ब्लाक कन्नौज के अनेकों मार्ग व क्षतिग्रस्त पुलिया की मरम्मत कराये जाने की मांग

9-श्री कल्याण सिंह दोहरे-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि ब्लाक व जनपद कन्नौज में रामपुर मुदेरी काजिम हुसैन से एशोआपुर तक बनाया गया सम्पर्क मार्ग तथा पुलिया क्षतिग्रस्त हो गयी है जिससे नागरिकों को असुविधा होती है ? यदि हां, तो उक्त सम्पर्क मार्ग तथा पुलिया की मरम्मत कब तक करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

सम्पर्क मार्ग जिसकी लम्बाई 3.65 किमी0 है की दशा ठीक है, किन्तु किमी0 1 में स्थित पुलिया क्षतिग्रस्त होने के कारण आवागमन में कुछ असुविधा होती है परन्तु यातायात चालू रखा जा रहा है।

क्षतिग्रस्त पुलिया एवं पहुंच मार्ग का पुनर्निर्माण कार्य जून, 2006 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

उपरोक्तानुसार।

10-श्री कल्याण सिंह दोहरे-

[4थे सोम0 के अता0 प्र0 सं0-72 के अन्तर्गत स्थाना0]

जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र सादात के ब्लाक देवकली के ग्राम बड़हरा में मिनी स्टेडियम बनाने की मांग

11-श्री बीजू पटनायक-

क्या खेलकूद एवं युवा कल्याण मंत्री को जानकारी है कि जनपद गाजीपुर में विधान सभा क्षेत्र सादात के ब्लाक देवकली के ग्राम बड़हरा में मिनी स्टेडियम के लिये जमीन उपलब्ध होने के बावजूद अभी तक धन स्वीकृत नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रश्नगत स्टेडियम हेतु धन उपलब्ध कराकर उसका निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खेलकूद एवं युवा कल्याण मंत्री (श्री आर0 के0 चौधरी)-

जी हां।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में बजट प्राविधान न होने के कारण निर्माण कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है। बजट प्राविधान होने पर ही निर्माण कार्य कराया जा सकता है। इस सम्बन्ध में कोई समय सीमा निर्धारित करना सम्भव नहीं हैं।

12-श्री सोमारू राम सरोज-

[4थे मंगल के अता0 प्र0 सं0-68 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद इलाहाबाद के विकास खण्ड कोड़िहार के ग्राम आनापुर से जानकी प्रसाद का पूरा तक की क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत की मांग

13-श्री रंगनाथ मिश्र-

क्या कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार मंत्री को जानकारी है कि इलाहाबाद जनपद के विकास ब्रण्ड कोड़िहार के ग्राम-आनापुर बाजार से जानकी प्रसाद का पूरा तक की मण्डी परिषद् द्वारा निर्मित सड़क क्षतिग्रस्त हो गयी है, जिससे आवागमन में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत/पुनर्निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

मण्डी समिति इलाहाबाद वर्तमान में रु0 144.29 लाख से ऋणात्मक है, जिससे इस मार्ग की मरम्मत/पुनर्निर्माण कराये जाने में कठिनाई है।

जनपद जालौन की तहसील कालपी के कतिपय क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत की मांग

14-डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद-जालौन तहसील कालपी के अन्तर्गत आटा-चुर्खी मार्ग नसीरपुर मोड़ से मुसमरिया स्वाकार तिराहे तक पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर मरम्मत कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मार्ग का आंशिक भाग क्षतिग्रस्त है तथा आवागमन हो रहा है।

प्रश्नगत मार्ग की विशेष मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद जालौन के कालपी अन्तर्गत कतिपय अधूरे मार्ग का निर्माण कराये जाने की मांग

15-डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद-जालौन के कालपी अन्तर्गत मदरालालपुर सूर्य मंदिर सम्पर्क मार्ग जोकि बुन्देलखण्ड विकास निधि राज्यांश से निर्माणाधीन है, अधूरा पड़ा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का निर्माण कार्य पूरा करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

वित्तीय संसाधनों एवं वन विभाग की भूमि की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद कौशाम्बी के स्वसुर खदेरी नदी के क्षतिग्रस्त पुल की मरम्मत की मांग

16-श्री महेश त्रिवेदी-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि कौशाम्बी जनपद में कौशाम्बी मार्ग में विल्हापुर मोड़ पर स्वसुर खदेरी नदी पर बना पुल क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे आवागमन में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पुल की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

इस स्थान पर पुराना आर्च सेतु क्षतिग्रस्त है, जिसके स्थान पर नया सेतु निर्माणाधीन है। आवागमन डाइवर्जन मार्ग से हो रहा है।

जी नहीं, क्षतिग्रस्त पुल के स्थान पर नया पुल सेतु निगम द्वारा निर्मित किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जालौन के विकास खण्ड कुठौद में कतिपय क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग की मरम्मत की मांग

17-डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद-जालौन विकास खण्ड कुठौद से मदारीपुर मार्ग से तरसौर सम्पर्क मार्ग पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिससे आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सम्पर्क मार्ग हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मार्ग कुछ स्थानों पर क्षतिग्रस्त है तथा आवागमन हो रहा है।

प्रश्नगत सम्पर्क मार्ग की विशेष मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद जालौन की तहसील कालपी में मंलंगा नाले पर रपटे के निर्माण की मांग

18-डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-जालौन तहसील कालपी में महेवा-पिपरौधा के मध्य मंलंगा नाले पर रपटे के निर्माण हेतु बुन्देलखण्ड विकास निधि राज्यांश से अब तक कितना धन दिया जा चुका है और कितना धन दिया जाना शेष है ? क्या सरकार शेष कार्य को पूरा करने के लिये आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराकर रपटा निर्माण कार्य पूरा करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

रु0 17.42 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है तथा रु0 17.43 लाख की धनराशि दी जानी शेष है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद मुजफ्फरनगर से गुजरने वाली कतिपय क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत की मांग

19-श्री परमजीत मलिक-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद-मुजफ्फरनगर से गुजरने वाले पानीपत खटीमा मार्ग के बीच में कस्बा बघरा बस स्टेशन से सैदपुरा होते हुए अमीरनगर लटुवा नसीरपुर जाने वाली सड़क

क्षतिग्रस्त हो गयी है जिससे आवागमन में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो उक्त सड़क की मरम्मत कब तक करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सदर में सूखे से राहत हेतु बनाई गई कार्य योजना

20-श्री हरि प्रताप सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ के सदर विधान सभा क्षेत्र में विगत दो वर्षों से पड़े सूखे से राहत प्रदान किये जाने हेतु क्या योजना बनाई गई है ? क्या बनाई गई योजना का क्रियान्वयन किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

वर्ष 2003-04 में कोई गांव सूखा से प्रभावित नहीं था। वर्ष 2004-05 में सूखा राहत के लिये कार्य योजना बनाई गयी थी।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम इकाई-खड्डा (कुशीनगर) के गन्ना कृषकों का भुगतान बैंक द्वारा न किये जाने विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

21-श्री बादशाह सिंह-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम इकाई-खड्डा (कुशीनगर) के गन्ना कृषकों का गन्ना मूल्य "दी देवरिया कसया जिला सहकारी बैंक शाखा खड्डा" से भुगतान न किये जाने विषयक पत्र पूर्व सदस्य, विधान सभा दीपलाल भारती द्वारा दि0 21-01-06 को जिलाधिकारी, कुशीनगर को दिया गया है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद जौनपुर के भू-माफिया पतिराम व उसके भाई के विरुद्ध कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र पर जांच

22-श्री सोमारू राम सरोज-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-जौनपुर के भू-माफिया पतिराम व उसके भाई सगराम के विरुद्ध प्रशासन द्वारा कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में विधान सभा के प्रथम सत्र, 2005 में दिनांक 23-3-2005 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया था ? यदि हां, तो क्या उस पर कोई कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां।

प्रकरण में मण्डलायुक्त से जांच कराई जा रही है।

जनपद इलाहाबाद की तहसील हंडिया के ग्राम हरीपुर की भूमि देवराज का नाम खारिज कर राजस्व अभिलेखों में अंकित करने सम्बन्धी जानकारी

23-श्री शिव चरन प्रजापति-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम हरीपुर पट्टी ब्लाक प्रतापपुर, तहसील-हंडिया, जनपद-इलाहाबाद में मुख्य राजस्व अधिकारी, इलाहाबाद द्वारा मु0 सं0-775/448 सन् 1994-95 अन्तर्गत धारा 198(4) जमी0 अ0, इन्दर बनाम देवराज में दि0 21-9-1995 को दिये गये आदेशानुसार भूखण्ड संख्या-515 से देवराज का नाम खारिज करके ग्राम सभा में अंकित करने का आदेश दिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने ग्राम सभा की उक्त जमीन को राजस्व अभिलेखों में सुरक्षित करवा लिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त गांव की ग्राम समाज की जमीन को अभिलेखों में कब तक सुरक्षित करा दिया जायेगा ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां।

सन्दर्भित वाद सं0-775/448 सन् 1994-95 में मुख्य राजस्व अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 21-9-95 के विरुद्ध देवराज द्वारा आयुक्त, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद के न्यायालय में निगरानी सं0-31/282/615 सन् 1996 देवराज बनाम इन्दर धारा-333 जेड0 ए0 मौजा हरीपुर पट्टी परगना-मह, तहसील-हंडिया, इलाहाबाद दायर किया है। जो सम्प्रति विचाराधीन है, जिससे अमलदरामद की कार्यवाही नहीं की जा रही है। निगरानी के निस्तारण के उपरान्त तद्नुसार कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

आयुक्त, इलाहाबाद-मण्डल, इलाहाबाद के न्यायालय में विचाराधीन निगरानी के निस्तारण के उपरान्त तद्नुसार कार्यवाही की जायेगी।

(1.00 बजे मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 1 बजकर 20 मिनट के लिए बढ़ा दिया है। 1 बजकर 20 मिनट पर मार्शल ने पुनः सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 2 बजे तक के लिए और बढ़ा दिया है। 2.00 बजे सदन की कार्यवाही अधिष्ठाता श्री श्याम सूरत उपाध्याय की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

कार्यसूची के प्रश्नों के संबंध में सूचना

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न काल का समय तो अब समाप्त हो चुका है, इसलिए प्रश्न सभी उत्तरित मान लिये जायेंगे।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह प्रश्न जो लगे हैं ये नहीं लिए जायेंगे क्या ?

श्री अधिष्ठाता-

यह सब उत्तरित मान लिए गये हैं।

नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता-

अब मैं नियम-301 की सूचनाओं को लेता हूं।

आज दिनांक 23 मार्च, 2006 को नियम-301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाने हेतु कुल 16 सूचनाएं प्राप्त हुईं। प्राप्त सूचनाओं में से निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार की गईं :--

पहली सूचना डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेई की है, जो मेरठ को वर्ष 2006-07 में आदर्श जनपद घोषित करके आधारभूत सुविधाओं की कमी की पूर्ति करने के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना श्री राम विशुन आजाद की पर्यावरण के प्रहरी गिद्ध प्रजाति के संरक्षण हेतु हरियाणा की तर्ज पर प्रदेश में शोध केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना श्री रणवीर राणा की है श्री राणा अनुपस्थित हैं। चौथी सूचना श्रीमती माया प्रसाद की है जो लखीमपुर खीरी जनपद के बेलराया-पनवारी मार्ग पर पचपेड़ी घाट पर शारदा नदी पर पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में है। पांचवीं सूचना श्री कल्यान सिंह दोहरे की है, जो कन्नौज के ब्लाक जलालाबाद क्षेत्रान्तर्गत काली नदी कूल्हापुर घाट में पक्का पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है। छठी सूचना श्री मदन चौहान की है श्री चौहान अनुपस्थित हैं। सातवीं सूचना श्री दया राम की है श्री दया राम अनुपस्थित हैं। आठवीं सूचना श्री कौशल किशोर की लखनऊ के मलिहाबाद क्षेत्रान्तर्गत माल-दुबग्गा रोड को गड्ढा मुक्त करने के सम्बन्ध में है। नवीं सूचना श्री विश्राम सिंह यादव की जो हरदोई के बिलग्राम क्षेत्रान्तर्गत बिलग्राम, सॉड़ी, हरपालपुर में फायर बिग्रेड स्टेशन खोले जाने के संबंध में है। दसवीं सूचना श्री आलम बदी की आजमगढ़ के निजामाबाद क्षेत्रान्तर्गत मण्डी परिषद से ऊंचा गांव को जोड़ने वाली सड़क के अवशेष 3.500 कि0मी0 लम्बाई को लेपन स्तर तक निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है। ग्यारहवीं सूचना श्री सुखदेव राजभर की जो आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज के चयनित समग्र ग्रामों में वर्ष 2005-2006 में लेपन स्तर तक कराये गये कार्यों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है। बारहवीं सूचना श्री रामहेत भारती की जो जनपद सीतापुर के विकास खण्ड महोली अन्तर्गत ढखिया से चतुरैया होते हुए निमचैना बीडनपुर के जर्जर मार्ग की विशेष मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है। तेरहवीं सूचना श्री राम करन आर्य की है। श्री आर्य इस समय अनुपस्थित हैं। चौदहवीं सूचना श्री ओम प्रकाश (ओ0 पी0 सिंह) की जो जनपद सुल्तानपुर के विधान सभा क्षेत्र जयसिंहपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सभा रामनाथ का पुरवा को एस0सी0पी0 के तहत लोक निर्माण विभाग सुल्तानपुर द्वारा प्रस्ताव न भेजे जाने के सम्बन्ध में है।

माननीय सदस्यों का नाम जिनकी सूचनाएं अस्वीकार की गईं :--

1- श्री राम नरेश यादव तथा

2-श्री धर्मपाल सिंह।

(अनुपस्थित सदस्यों की सूचनाओं को छोड़ कर, शेष सभी स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं।)

मेरठ को आदर्श जनपद घोषित करके आधार भूत सुविधाओं की कमी की पूर्ति करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

[प्रदेश सरकार के नियोजन विभाग द्वारा प्रदेश के कतिपय जनपदों का प्रस्ताव आने पर विचारोपरान्त आदर्श जनपद के रूप में घोषित किया जाता है।

वर्ष 2005-06 में प्रदेश के 37 जनपद आदर्श जनपद घोषित थे। इन घोषित जनपदों में कुछ जन उपयोगी आवश्यकताओं/आधारभूत सुविधाओं की कमियों के आगणन बनाकर नियोजन विभाग द्वारा धनराशि अवमुक्त की जाती है। उनसे वह कार्य कराए जाते हैं।

मेरठ को भी आदर्श जनपद घोषित करने हेतु प्रस्ताव दिनांक अगस्त, 2005 को दिया गया था। वह स्वीकार नहीं हो पाया।

अब वर्ष 2006-07 में उपरोक्त 37 जनपदों के अतिरिक्त जनपदों को आदर्श जनपद घोषित किया जाना चाहिए।

मेरठ को 2006-07 में आदर्श जनपद घोषित करके आधारभूत सुविधाओं की कमी की पूर्ति होनी चाहिए।

मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर शासन से कार्यवाही की मांग करता हूं।]

गिद्ध प्रजाति के संरक्षण हेतु हरियाणा की भांति प्रदेश में शोध केन्द्र खोले जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री राम विशुन आजाद-

[आपके संज्ञान में लाना है कि प्रदेश में विलुप्त हो रहे पर्यावरण के प्रहरी गिद्ध प्रजाति के पक्षियों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाने के कारण प्रदेश में पर्यावरण को गम्भीर खतरा उत्पन्न हो गया है प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में गिद्ध प्रजाति के एवं अन्य पक्षियों की प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर हैं, जो पर्यावरण को प्रदूषण को मुक्त रखने में अपनी विशेष भूमिका रखते हैं। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में गिद्ध प्रजाति के पक्षी मृत पशुओं के अवशेषों को खाकर पर्यावरण को प्रदूषण से मुक्त रखने या महत्वपूर्ण प्राकृतिक कार्य करते आ रहे हैं। पिछले कई वर्षों से देश में एवं विशेषकर उ0 प्र0 में गिद्ध प्रजाति के पक्षियों की संख्या में काफी कमी आयी है गिद्ध प्रजाति की संख्या में कमी का प्रमुख कारण पशुओं को अधिक मात्रा में दर्द निवारक दवा डिक्लोफिनेक का दिया जाना है, जिससे गिद्ध प्रजातियों में विशिष्ट रोग उत्पन्न हो जाता है और वे मृत हो जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में मृत पशुओं का सड़ा गला मांस ही गिद्धों का आहार होता था आज ग्रामीण क्षेत्रों एवं शहरी क्षेत्रों में जानवरों के मृत हो जाने से उनको उठाने वाला या हटाने वाला कोई नहीं है, मृत जानवर उसी स्थान पर पड़े रहते हैं और सड़

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एवं गल जाते हैं जिसके कारण प्रदूषित वायु से संक्रामक रोगों के फैलने की आशंका बनी रही है प्रदेश सरकार द्वारा गिद्ध प्रजाति के अस्तित्व को बचाने के लिये प्रदेश में गिद्ध प्रजातियों के संरक्षण हेतु शोध केन्द्र खोला जाय जिस तरीके से हरियाणा प्रदेश सरकार ने "पिंजौर" नामक स्थान पर एक शोध केन्द्र खोला है। यदि प्रदेश सरकार गम्भीरता से इस पर विचार कर गिद्ध प्रजाति के अस्तित्व को बचाने का संकल्प ले, तो पर्यावरण को प्रदूषण से बचाया जा सकता है यह एक क्रांतिकारी कदम होगा।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाते हुये कार्यवाही करने की मांग करता हूं।]

जनपद लखीमपुर खीरी में शारदा नदी के पचपेड़ी घाट पर पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती माया प्रसाद-

[मान्यवर, आपके माध्यम से व्यापक जनहित से जुड़ा प्रश्न सदन में उपस्थित करते हुये त्वरित कार्यवाही की मांग करती हूं :-

लखीमपुर जनपद की तहसील निघासन को जोड़ने वाली सड़क की दूरी मात्र 35 कि0मी0 है वहां पर शारदा नदी में पुल न होने के कारण क्षेत्र के लोगों को यह दूरी 150 कि0 मी0 तय करके जाना पड़ता है। अतः बेलराया-पनवारी मार्ग पर पचपेड़ी घाट में शारदा नदी पर पुल बनवाने का कष्ट करें।

कृपया नियम 301 के अन्तर्गत सूचना देते हुये शासन का ध्यान आकृष्ट करती हूं।]

कन्नौज के ब्लाक जलालाबाद के काली नदी के कूल्हापुर घाट पर पक्का पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री [सिंह दोहरे-

[माननीय मुख्य मंत्री जी के द्वारा जनपद कन्नौज में भ्रमण के दौरान जनसभा में काली नदी कूल्हापुर घाट पर ब्लाक-जलालाबाद तहसील व जनपद कन्नौज में पक्का पुल अतिशीघ्र बनाये जाने की घोषणा की थी जिसकी न तो अभी तक स्वीकृति ही पहुंची है न कोई कार्य ही प्रारम्भ हुआ है। उक्त कूल्हापुर घाट पर पक्के पुल का बनाया जाना अति आवश्यक है। पूरे डंडवारी क्षेत्र की जनता लाखों लोगों को लाभ मिलेगा। उक्त कूल्हापुर काली नदी पर पक्का पुल का निर्माण जनहित में है। वक्तव्य की मांग करता हूं।]

लखनऊ के मलिहाबाद क्षेत्रान्तर्गत माल दुबग्गा रोड को गड्ढा मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री कौशल किशोर-

[मान्यवर, अवगत कराते हुये सादर कहना है कि लखनऊ जनपद के विधान सभा क्षेत्र मलिहाबाद में माल-दुबग्गा रोड पर अनगिनत गड्ढे हैं जिसके कारण वाहनों को आने जाने में अत्यन्त

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में दुर्घटनायें भी अधिक होती हैं । उक्त सड़क को जनहित में गड्ढा मुक्त होना जरूरी है।

अतः आपसे आग्रह है कि इस अत्यन्त अविलम्बनीय व लोक महत्व की सूचना को नियम 301 में स्वीकार करके उक्त सड़क को गड्ढा मुक्त बनाने के निर्देश सदन में देने की कृपा करें।]

जनपद हरदोई के बिलग्राम, सांडी एवं हरपालपुर में फायर ब्रिगेड स्टेशन खोले जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विश्राम सिंह यादव-

[हरदोई जनपद की 74 बिलग्राम विधान सभा सैलावी नदियों से घिरा हुआ है इसके कारण अधिकतर घास फूस पतावर के मकान अधिकतर हैं जिससे आये दिन आग लगती रहती है परन्तु इस क्षेत्र के किसी भी स्थान पर कोई फायर ब्रिगेड का स्टेशन नहीं है जबकि इस क्षेत्र में बिलग्राम तहसील मुख्यालय है तथा एक नगरपालिका परिषद् सांडी भी तथा एक हरपालपुर बड़ा कस्बा भी है। प्रतिवर्ष आग से लाखों करोड़ों की धन जन हानि होती रहती है। फायर ब्रिगेड न होने से इस क्षेत्र की 7/8 लाख की जनता में घोर असंतोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को आदरणीय सदन के संज्ञान में लाकर बिलग्राम, सांडी, हरपालपुर में फायर ब्रिगेड स्टेशन खोलने की मांग करता हूं।]

आजमगढ़ के निजामाबाद क्षेत्रान्तर्गत मण्डी परिषद् से ऊंचा गांव सड़क को लेपन स्तर तथा निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आलमबदी-

[मान्यवर, मेरे निर्वाचन क्षेत्र 196 निजामाबाद आजमगढ़ की एक विशेष मार्ग जो आजमगढ़ मण्डी परिषद् को ऊंचा गांव से जोड़ती है। यह खड़ंजा मार्ग है। इसकी लम्बाई लगभग 6.500 कि0मी0 है।

समग्र ग्राम योजना के अन्तर्गत मण्डी परिषद् से तमौली तक लेपन स्तर तक कार्य पूर्ण हो चुका है और अवशेष 3.500 किमी0 लेपन स्तर तक कार्य पूर्ण कराया जाना जनता के हित में अति आवश्यक है।]

आजमगढ़ में विधान सभा क्षेत्र लालगंज में चयनित समग्र ग्रामों में गतवर्ष लेपन स्तर तक कराये गये कार्यों की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुखदेव राजभर-

[मेरे विधान सभा क्षेत्र लालगंज जनपद आजमगढ़ में वर्ष 2005-06 में मेरे द्वारा चयनित समग्र ग्रामों में लोक निर्माण विभाग द्वारा जिन भी मार्गों का लेपन कराया गया है कि वे सब अत्यन्त ही घटिया किस्म के हैं। आज पूरी सड़कें एक साल में ही टूट गयी हैं, लेपन का कार्य इतना घटिया है कि नीचे से गिट्टी ऊपर आ गयी है। मानक के आधार पर सड़कों का निर्माण नहीं कराया गया है। यह प्रकरण इतना महत्वपूर्ण है कि इस घोटाले एवं फर्जी निर्माण कार्य की उच्च स्तरीय जांच होना

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनहित में जरूरी है। विधान सभा लालगंज में सड़कों के मरम्मत के नाम पर आवंटित धन की विभाग द्वारा लूट की जा रही है। मरम्मत नाम मात्र का किया जा रहा है। इस प्रकार विभाग के फर्जी एवं घटिया निर्माण कार्य को लेकर क्षेत्रीय जनता में काफी आक्रोश है तथा स्थिति तनावपूर्ण है।

अतः आपसे अनुरोध है कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुये यथाशीघ्र उच्च स्तरीय जांच की मांग करता हूं।]

जनपद सीतापुर में ढखिया से चतुरैय्या होते हुये निमचैना बीड़नपुर जर्जर मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रामहेत चौधरी-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि जनपद सीतापुर के विकास खण्ड महोली के अन्तर्गत ढखिया से चतुरैय्या होते हुये निमचैना बीड़नपुर सम्पर्क मार्ग तक का रास्ता जो पेण्टेड है अत्यन्त क्षतिग्रस्त हो गया है। रोड पर बड़े-बड़े गड्ढे हो गये हैं चतुरैय्या तक सरकारी रोडवेज की बस भी आती जाती है वाहनों का काफी आना जाना है। गन्ना बाहुल्य क्षेत्र होने के साथ चतुरैय्या में गन्ना क्रय केन्द्र भी है रोड क्षतिग्रस्त तथा अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण होने के कारण वाहन पलट जाते हैं। दुर्घटनायें होने से जन व धन की काफी हानि हो जाती है। अतएव शासन का इस अविलम्बनीय लोक महत्व के तात्कालिक विषय पर ध्यान आकृष्ट करते हुये ढखिया से चतुरैय्या होते हुये बीड़नपुर सम्पर्क मार्ग तक क्षतिग्रस्त मार्ग की विशेष मरम्मत कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद सुल्तानपुर के जयसिंहपुर में ग्राम सभा रामनाथ का पुरवा को एस0सी0पी0 के तहत लोक निर्माण विभाग सुल्तानपुर द्वारा प्रस्ताव न भेजे जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री ओम प्रकाश (ओ0 पी0 सिंह)-

[जनपद सुल्तानपुर के विधान सभा जयसिंह पुर वि0 खं0 कूड़ेमार अन्तर्गत ग्राम सभा रामनाथ का पुरवा वर्ष 2004-05 का समग्र गांव है। इसकी आबादी का 30 प्रतिशत लोग अनु0 जाति के हैं। उपरोक्त गांव समग्र गांव में चयनित होने के कारण तथा आबादी 30 प्रतिशत से अधिक अनु0 जाति होने के कारण यह गांव स्पेशल प्लान्ट कम्पोनेन्ट के तहत लोक निर्माण विभाग सुल्तानपुर द्वारा सड़क का निर्माण कराया जाना चाहिए था। इसके साथ ही साथ जो अन्य समग्र गांव विधान सभा के थे वे सब लोक निर्माण विभाग द्वारा एस0सी0पी0 के अन्तर्गत सड़कें निर्माण आरम्भ करा दिया गया है परन्तु जनपद सुल्तानपुर के लोक निर्माण विभाग द्वारा रामनाथ गांव को समग्र गांव को अनु0 जाति की आबादी 30 प्रतिशत होने के बावजूद इसे एस0सी0पी0 के तहत नहीं लिया गया जिस कारण रामनाथ का पुरवा में सड़क निर्माण की स्वीकृति नहीं मिल पायी है। जिससे क्षेत्र की जनता में घोर असन्तोष व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के विषय पर रामनाथ का पुरवा का 30 प्रतिशत अनु0 जाति की आबादी 2002 के तहत होने के बावजूद एस0सी0पी0 के तहत लोक निर्माण विभाग सुल्तानपुर द्वारा प्रस्ताव न भेजे जाने के कारण मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं।]

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

नियम-300 के अन्तर्गत 2 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं पहली श्री सुरेश कुमार खन्ना की है दूसरी श्री मुंशी लाल गौतम की है।

श्री राम नरेश यादव-

मान्यवर, 300 में जो लोग नहीं हैं उनकी जगह पर मेरी सूचना ले लें।

श्री अधिष्ठाता-

आपकी इस हफ्ते आ चुकी है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना जी नहीं हैं।

प्रदेश सरकार द्वारा यातायात निरीक्षकों, उप निरीक्षकों, थानाध्यक्षों आदि को वाहन चालान करके वाहन चालकों से धन वसूलने का अधिकार दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री मुन्शी लाल गौतम-

मान्यवर, औचित्य के प्रश्न के माध्यम से नियम-300 के अन्तर्गत मैंने सूचना दी है। मान्यवर, आज पूरे उत्तर प्रदेश में पुलिस वाले हर एक जगह पर कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर आदि को रोककर अवैध रूप से चालान कर रहे हैं। यातायात पुलिस के माध्यम से पहले से ही चालान की व्यवस्था थी लेकिन सिविल पुलिस वालों को यह अधिकार देकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया गया है। 500 रुपये तक का चालान, आर्थिक दण्ड वसूल करने का अधिकार सिविल पुलिस वालों को, उप निरीक्षक स्तर को दे दिया गया है इससे और भ्रष्टाचार बढ़ेगा। मान्यवर, ये 200 रुपये का चालान करेंगे जिसमें से 100 रुपया अपनी जेब में रखेंगे और बाकी का 100 रुपया जमा करेंगे इससे भ्रष्टाचार चरम सीमा पर बढ़ेगा।

श्री अधिष्ठाता-

आपकी सूचना अग्राह्य की गयी है, कृपया बैठें।

श्री मुन्शी लाल गौतम-

मान्यवर, यह औचित्य का प्रश्न बनता है। गरीब कार चालक, अपनी कार चलाने के लिए इन पुलिस वालों की बेगार चालान के डर से उठायेगा और अपनी गांठ का डीजल खर्च करेगा, इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा। ऐसा लगता है कि सरकार के पास धन का अभाव है इसी कारण जनता से अवैध उगाही करने के लिए पुलिस वालों को ठेका दे दिया है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता-

आपका औचित्य का प्रश्न स्वीकार्य नहीं है।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

आपने जो यह कहा कि 100 रुपया अपनी जेब में रखेंगे, इस तरह से इशारा किया यह बात अच्छी नहीं है, बाकी सब ठीक है। आपने जो यूं करके बताया वही मैंने बताया।

श्री मुन्शी लाल गौतम-

मान्यवर, आपकी जेब के लिए नहीं मैंने कहा पुलिस वाले अपनी जेब में रखेंगे, सरकार को कम देंगे।

मान्यवर, जो पुलिस वाले चालान कर रहे हैं वह चालान की बुक फर्जी बनाकर रखे हुए हैं और स्कूटर मोटरसाइकिल पर कोई छात्रा या बहन बैठकर जाती है तो पुलिस वाले मसखरी में उसको रोक लेते हैं और हंसी मजाक करते हैं इस तरह से यह अनैतिक कार्य हो रहा है और इससे नौजवान उत्तेजित हो रहा है जिससे झगड़े तक की नौबत आई है और उन पर फर्जी मुकदमे तक लिखे गये हैं। इस प्रकार के प्रकरण अनेक जनपदों में मैंने खुद अपनी आंखों से देखे हैं। माननीय नेता सदन ने मंत्रि-मण्डल की बैठक में कल यह घोषणा कर दी कि थाने वाले 500 रुपये तक का आर्थिक दण्ड जमा कर सकते हैं तो मान्यवर, जो पहले से यातायात के पुलिस वाले थे उनको चालान करने का अधिकार था यह सिविल पुलिस वालों को चालान करने का अधिकार दे करके अवैधानिक कार्य किया गया है। जनता इनसे पहले से ही पेरशान है। मेरा यह औचित्य का प्रश्न बनता है इस पर सरकार को निर्देशित करके व्यवस्था देने का कष्ट करें।

श्री अधिष्ठाता-

आप बैठें, इसे अग्राह्य किया गया।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2006

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2006 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 16 फरवरी, 2006 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 08 मार्च, 2006 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 14 मार्च, 2006 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2006 का उत्तर प्रदेश का दूसरा अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश मोटर कराधान (संशोधन) विधेयक, 2006

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2006 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 16 फरवरी, 2006 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश

विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 08 मार्च, 2006 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 14 मार्च, 2006 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2006 का उत्तर प्रदेश का तीसरा अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2006

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2006 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 28 फरवरी, 2006 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 08 मार्च, 2006 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 14 मार्च, 2006 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2006 का उत्तर प्रदेश का चौथा अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश गन्ना क्रय कर (संशोधन) विधेयक, 2006

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय कर) (संशोधन) विधेयक, 2006 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 17 फरवरी, 2006 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 09 मार्च, 2006 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 14 मार्च, 2006 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2006 का उत्तर प्रदेश का पांचवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश किंग जार्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2006

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश किंग जार्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2006 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 17 फरवरी, 2006 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 09 मार्च, 2006 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 14 मार्च, 2006 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2006 का उत्तर प्रदेश का छठा अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2006

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2006 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 28 फरवरी, 2006 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 10 मार्च, 2006 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 14 मार्च, 2006 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2006 का उत्तर प्रदेश का सातवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2006

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2006 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 11 मार्च, 2006 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 11 मार्च, 2006 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 14 मार्च, 2006 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2006 का उत्तर प्रदेश का आठवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश विशेष आर्थिक परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2006

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विशेष आर्थिक परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2006 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 28 फरवरी, 2006 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश वियान परिषद् ने अपनी दिनांक 09 मार्च, 2006 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 20 मार्च, 2006 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2006 का उत्तर प्रदेश का नौवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) विधेयक, 2006

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) विधेयक, 2006 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 09 मार्च, 2006 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 10 मार्च, 2006 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 20 मार्च, 2006 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2006 का उत्तर प्रदेश का दसवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) सम्बन्धी अधिनियम पर व्यवस्था का प्रश्न उठाने का प्रयास

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है, जिस पर मैं आपकी कृपापूर्ण व्यवस्था चाहता हूं। अभी प्रमुख सचिव, विधान सभा ने जो विधेयक, विधान सभा ने पारित किया था, उसकी घोषणा की है, इसमें आज की कार्यसूची की मद संख्या 3(9) को आप देखें। इसमें है, उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) विधेयक, 2006 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 09 मार्च, 2006 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 10 मार्च, 2006 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 20 मार्च, 2006 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2006 का उत्तर प्रदेश का दसवां अधिनियम बन गया। मान्यवर, इसमें मैं आपकी व्यवस्था यह चाहता हूं कि इस सदन में वर्तमान सत्तारूढ़ सरकार ने इस अनर्हता निवारण

संशोधन विधेयक, 2006 को लाकर जो भी अपवित्र उद्देश्य या पवित्र उद्देश्य जो भी इनका था, इसको पारित कराया और उन लोगों को जो डिस्क्वालीफाई होने जा रहे थे, उनको बचाने का काम कर लिया और यहां पर कांग्रेस पार्टी इस विषय पर, इस सदन से एब्स्टेन कर गये।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, इस विषय पर व्यवस्था का क्या प्रश्न है ? इस विषय पर व्यवस्था का क्या प्रश्न बनता है ? प्रमुख सचिव द्वारा यह गलत तरीके से यहां रखा गया हो, तब तो यह प्रश्न रखा जा सकता था वर्ना यह चर्चा का विषय नहीं है। प्रमुख सचिव द्वारा रखने में यदि कोई गलती हुयी है तब तो प्रश्न उठता। इन्होंने जो बोला है, वह कार्यवाही में छपना नहीं चाहिये।

श्री अधिष्ठाता-

विधेयक पर अब चर्चा नहीं हो सकती। विधेयक पर राज्यपाल महोदय की अनुमति मिल चुकी है, इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं बनता।

(डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी तथा संसदीय कार्य मंत्री द्वारा एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री मोहम्मद आजम खां-

कोई औचित्य नहीं है व्यवस्था के प्रश्न का। इसके लिखे जाने और बोलने की अनुमति भी नहीं होनी चाहिये।

श्री अधिष्ठाता-

आप बैठिये, मद संख्या-4, 5, 6 व 7 में कुछ नहीं है। मैंने मद संख्या-8 पुकारा है।

श्री लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, सदन के अधिकारों का दुरुपयोग हो रहा है।

राजस्व राज्य मंत्री (श्री इकबाल महमूद)-

मान्यवर, इन्होंने जो बोला है, वह लिखा न जाय।

श्री अधिष्ठाता-

मैंने पहले ही कह दिया, कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। जो प्रमुख सचिव ने सूचित कर दिया है कि बिल पास हो गया है और महामहिम महोदय का अनुमोदन भी प्राप्त हो गया है, इस पर कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं बनता।

मंगलायतन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2006 †

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से मंगलायतन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2006 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा चाहता हूं।

---

† दिनांक 12-4-2006 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि मंगलायतन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2006 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से मंगलायतन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2006 को पुरःस्थापित करता हूं।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता-

आज दिनांक 23 मार्च, 2006 को नियम-56 के अन्तर्गत कुल 12 सूचनाएं प्राप्त हुई। जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनाएं चयनित की गई। प्रथम दो सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जाएगा, शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है :-

पहली सूचना डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी की प्रदेश के स्थानीय निकाय चुनावों को मा0 उच्च न्यायालय के आदेशानुसार छः माह के अन्दर कराये जाने के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना श्री हुकुम सिंह जी की जनपद मुजफ्फरनगर की कोतवाली खतौली में कार्यरत् कोतवाल की दिल्ली-देहरादून राजमार्ग पर बदमाशों द्वारा हत्या कर दिये जाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव जी की लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर में बढ़ती अराजकता से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। चौथी सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना जी की जनपद शाहजहांपुर में ए0 डी0 एम0 के दोनों रिक्त पदों को तत्काल भरे जाने के सम्बन्ध में है। पांचवीं सूचना श्री राम इकबाल सिंह जी की जनपद बलिया के हल्दी थानान्तर्गत ग्राम बजरहा में हुए अग्निकाण्ड से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। छठी सूचना श्री ओम प्रकाश पाण्डेय जी की जनपद सुल्तानपुर के ग्राम केनौरा निवासी बुधराम एवं राममूर्ति वर्मा की हत्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

जिन माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत हुई, उनके नाम इस प्रकार हैं :-श्री रामहेत भारती, श्री मुन्शी लाल गौतम, श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल, श्री जगदम्बिका पाल, श्री प्रमोद तिवारी, डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, श्री सुखदेव राजभर, श्री लाल जी वर्मा, श्री इरशाद खान और श्रीमती माया प्रसाद।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, मेरी सूचना को पांच सदस्यों ने दिया था, यह बहुत महत्वपूर्ण सूचना है और स्पेसिफिक घटना के बारे में है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य, पहले बाजपेयी जी को अपनी बात कह लेने दीजिए।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मैं आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में नगरीय निकायों के चुनाव होने थे और माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि आरक्षण का परिसीमन दोबारा करके 28 मई, 2006, अर्थात् छः माह के अन्दर चुनाव करा लिये जाएं। उसके बाद मान्यवर, एक रिट माननीय उच्च न्यायालय में गई, जो चेयरमैन और मेयर के पदों के आरक्षण के सम्बन्ध में थी, उस पर सुनवाई के लिए 6361105 की रिट इलाहाबाद हाई कोर्ट में गई, जो श्री आर0 के0 अग्रवाल और सरोजवाला न्यायाधीशों की कोर्ट में सुनी गयी। 24-09-2005 से लेकर 31-01-2006 तक इस पर छः तारीखों में सुनवाई हुई और उसके बाद 31-01-2006 को फैसला देने का उच्च न्यायालय ने निर्णय लिया। उस निर्णय को माननीय उच्च न्यायालय ने 06 फरवरी, 2006 को सुनाया और कहा कि यह संविधान की धारा 243 के प्रावधानों का उल्लंघन है क्योंकि आरक्षण की नियमावली जो भी बननी चाहिए वह विधि द्वारा बननी चाहिए। उत्तर प्रदेश में जो स्थानीय निकायों के चेयरमैन और मेयर के पदों की आरक्षण की नियमावली थी, वह कार्यपालिका द्वारा बनायी गई थी। इस आधार पर माननीय न्यायालय ने उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम की धारा 9ए का सर्कुलर-5, 6 और 6ए की तरफ ध्यानाकर्षण किया और निष्कर्ष दिया कि इस पर आरक्षण के सम्बन्ध में विधायिका के द्वारा निर्णय किया जाए। सदन सत्र में है और 6 फरवरी, 2006 का निर्णय है और 28 मई, 2006 के पूर्व चुनाव कराने का माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है, तब 6 फरवरी, 2006 से लेकर आज 23 मार्च, 2006 तक सरकार इस सदन में उस नियमावली को इस विधान सभा में प्रस्तुत करके आरक्षण को माननीय उच्च न्यायालय की अपेक्षा के अनुसार या दिये गये निर्देश के अनुसार इसको विधान सभा के द्वारा पारित नहीं कराया। हो सकता है कि सरकार पदों को अनारक्षित रखना चाहती हो तो, सरकार पदों के आरक्षण की वर्तमान नियमावली को यथावत रखना चाहती हो तो, सरकार वर्तमान नियमावली में समय-समय पर परिवर्तन के लिए चक्रानुक्रम की व्यवस्था लागू करना चाहती हो तो, किसी भी परिस्थिति में सरकार को इस सदन में लाना एक प्रकार से बाध्यता थी। सरकार सदन में नहीं लायी, सदन आज भी सत्र में है, अभी सदन का सत्रावसान नहीं हुआ है 21 नवम्बर, 2005 से वर्ष 2005 का तृतीय सत्र चल रहा है। ऐसी स्थिति में सरकार के द्वारा सदन में इस विधेयक को न लाना, इस नियमावली को विधिक स्थिति में लाने के लिए माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार इस सदन में न लाकर इस सदन से पास न कराना और जो समाचार मिल रहे हैं कि सरकार माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय 6-02-2006 के विरुद्ध एस0एल0पी0 में माननीय उच्चतम न्यायालय में जा रही है अर्थात् सुप्रीम कोर्ट में जाने का अर्थ यह है कि यह मामला महीनों के लिए लम्बित हो जायेगा। 28 मई, 2006 के पूर्व चुनाव कराने का उच्च न्यायालय का निर्देश है, उसका पालन नहीं होगा और मेरा कहना यह है कि सरकार को माननीय उच्च न्यायालय ने यही कहा है कि विधान सभा से इसे पास करा लिया जाये। जो भी संशोधन सरकार चाहती है चाहे यथावत रखना चाहती है, चाहे चक्रानुक्रम रखना चाहती है, चाहे अनारक्षित रखना चाहती है, जो भी संशोधन सरकार चाहती है वह इस सदन में लाकर कर लेती तो चुनाव निर्धारित समय सीमा पर हो जाते। चुनाव निर्धारित समय-सीमा पर न हो इसके लिए सरकार एस0एल0पी0 में जा रही है, एस0एल0पी0

में चले जायेंगे तो मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित हो जायेगा। सरकार इस सदन में खड़े होकर इस बात की चिन्ता व्यक्त करता है कि विधायिका पर न्यायपालिका हावी होती जा रही है, एक तरफ हम न्यायपालिका को विधायिका पर हावी होने का अवसर दे रहे हैं। तो मैं इस कार्यस्थगन के माध्यम से माननीय अधिष्ठाता जी इस पर चाहता हूं कि इतना महत्वपूर्ण विषय है, नगरीय स्थानीय निकाय जो लोकतंत्र की सबसे निचली इकाई हैं, को प्रशासकों के हवाले रखने का एक षडयंत्र है, इस चुनाव को 28 मई, 2006 से पूर्व न कराने का षडयंत्र है। इसको रोकने की जिम्मेदारी सदन की है। माननीय उच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया है उसकी भी मंशा है कि सदन से पास कराया जाय। मैं इस सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराने की विनम्रतापूर्वक आग्रह करता हूं और सरकार से मांग करता हूं कि सरकार को इस सदन में इस बात के बारे में कहना चाहिए कि यह सरकार 28 मई, 2006 से पूर्व चुनाव करा देगी। अभी इस सत्र का सत्रावसान नहीं हुआ है, अगली किसी तिथि में माननीय उच्च न्यायालय की अपेक्षा के अनुसार नियमावली को विधान सभा में रखकर, स्वीकृति लेकर चुनाव को निर्धारित समय सीमा में कराये यह मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं।

* श्री जगदम्बिका पाल-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, बहुत महत्वपूर्ण विषय है, कार्यस्थगन के माध्यम से माननीय सदस्य डा0 बाजपेयी द्वारा उठाया गया है। स्वभाविक है कि चुनी हुई सरकार है और प्रजातांत्रिक प्रणाली में त्रिस्तरीय पंचायतीराज में लोक बॉडीज के चुनाव की वही अहमियत है जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए है। 73वें और 74वें संशोधन के बाद सरकारों की यही मंशा थी कि इन संस्थाओं के चुनाव किसी भी कीमत पर समय से हों। अगर चुनाव समय से हों, यह बाध्यता थी तो उसका तात्पर्य यही था कि कोई प्रशासक नियुक्त नहीं होगा। मान्यवर, जिस तरह से इन्हें प्रशासकों के हाथ में दे दिया उससे पूरे प्रदेश के नगरपालिकाओं की जो स्थिति है, कहीं कोई काम नहीं हो रहा है और सारे कार्य स्टैण्ड स्टिल है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय पाल साहब, डा0 बाजपेयी जी ने सारी बातें रख दी हैं, यह चर्चा के लिए स्वीकार नहीं है इसलिए कृपया आसन ग्रहण करिये।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, मैं तो आपकी अनुकम्पा से कह रहा था। प्रशासकों के नियुक्त होने से वहां पर कोई कार्य नहीं हो रहा है। तो इस संशोधन की जो मंशा है उसके विपरीत है। प्रशासक की नियुक्ति का जो मामला है उस पर सरकार का स्पष्ट आश्वासन आना चाहिए।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, ये सारी क्यासआराइयां बिल्कुल गलत हैं, लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी संभावनाओं पर ज्यादा विश्वास करने लगे हैं। सरकार जो भी करेगी, सोच-समझकर करेगी और उसके

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्विक्षण नहीं किया।

जितने वैधानिक पहलू हैं उन पर गौर करके। वजह यह है कि पिछले दिनों सारी तैयारी कर ली गयी थी और चुनाव की तिथियां भी घोषित हो गयी थी लेकिन कुछ सज्जन इलाहाबाद हाई कोर्ट चले गये और स्टे हासिल कर लिया और चुनाव नहीं हो सके, परिसीमन दोबारा हुआ। अब आपने जो संभावना व्यक्त की है कि सरकार सुप्रीमकोर्ट जाने वाली है तो यह सूचना आपको कहां से मिली ?

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

यह मेरी निश्चित जानकारी है, सोमवार को आप सर्वोच्च न्यायालय जा रहे हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

देखिये यहां तक जानकारी है कि हम सुप्रीमकोर्ट जा रहे हैं। सूचना विपक्ष को हो गयी है, पता नहीं इन्हें क्या-क्या और सूचना है। इन सबका ख्याल रखते हुये जितनी जल्दी हो सकेगा चुनाव कराये जायेंगे।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, सरकार सदन में स्पष्ट कह दे कि 28 मई, 2006 तक जैसा कि माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है कि 6 महीने में चुनाव करा दें, तब तक चुनाव करा देगी। दूसरे यह कह दें कि सुप्रीमकोर्ट में एस0एल0पी0 दायर करने नहीं जा रहे हैं। सरकार यह कह दे कि उच्च न्यायालय के अनुसार इसी सत्र में इसकी नियमावली ले आयेंगे। सरकार यह कहने से क्यों कतरा रही है। मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। यह पीठ संवैधानिक व्यवस्थाओं की रक्षा करने के लिये है। मेरा प्रश्न राजनीतिक नहीं है बल्कि पूर्णतया संवैधानिक है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय मंत्री जी ने कहा है कि जल्दी ही चुनाव करा देंगे।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। हमारे जनतंत्र के ऊपर कार्यपालिका और न्यायपालिका हावी न हो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये। हम अपनी किसी गलती से या भ्रमवश या अन्य कारणों से न्यायपालिका को दोबारा हस्तक्षेप करने का अवसर तो नहीं दे रहे हैं ? मैं इसीलिये सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि सरकार केवल दो बातें कह दे। एक तो 28 मई, 2006 तक जो उच्च न्यायालय ने 6 माह में चुनाव कराने की बात कही है, उस तिथि तक स्थानीय निकायों के चुनाव करा देंगे और दूसरी बात जो विधिक दृष्टि से आवश्यक है वह नियमावली इसी सत्र में ले आयेंगे और एस0एल0पी0 दाखिल नहीं की जायेगी, इन बातों के बारे में सरकार कह दे।

श्री मोहम्मद आजम खां-

निर्देशित किया लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी ने, दो बातों को भी कह देता लेकिन तीसरी बात जो है उसको मान लें कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सकेगा चुनाव करायेंगे। ऐसा कोई इरादा नहीं है कि न्यायपालिका को हावी किया जाय लेकिन न्याय में कहीं कसर न रह जाय इसका ध्यान रखना सरकार का परम कर्तव्य है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, यह हमारे लिये प्रिविलेज है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री नगर विकास मंत्री हैं और यह विभाग उनके पास है। मेरी दो बातों का जवाब दे दें कि 28 मई, 2006 तक चुनाव करा देंगे और इसके लिये जो नियमावली आवश्यक है वह ले आयेंगे। मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कह रहा हूं यह लोकतंत्र की रक्षा का विषय है और यह सरकार जो अपने को लोकतंत्र की रक्षा करने वाली कहलाती है वह लोकतंत्र की हत्या न करें।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने उत्तर दे दिया है। मैं इसको अस्वीकार करता हूं।

* श्री हुकुम सिंह-

अधिष्ठाता महोदय, मैं एक बहुत गम्भीर घटना की ओर ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। जनपद मुजफ्फरनगर में खतौली नाम की एक कोतवाली है। इस घटना के तीन दिन पूर्व खतौली के एक पुलिस निरीक्षक जिन्होंने कोतवाली का चार्ज लिया था वह जा रहे थे। वह सरकारी काम से मुजफ्फरनगर को जा रहे थे। रास्ते में उनको संदिग्ध व्यक्ति दिखे। उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी और उनसे पूछतांछ करना शुरू किया। जिन लोगों से वह पूछतांछ कर रहे थे उसमें से दो भाग गये और एक को उन्होंने पकड़ लिया। इन्सपेक्टर के साथ कान्सटेबिल भी था। जिस आदमी को उन्होंने पकड़ा। उसने तुरन्त ही फायर कर दिया जिससे उनकी मौके पर मृत्यु हो गयी। यह दिल्ली-देहरादून नेशनल हाइवे पर हुई घटना है और दिन के समय हुई है।

दिन दहाड़े नेशनल हाईवे पर एक पुलिस इंस्पेक्टर की हत्या वह बदमाश कर दे जिसको हिरासत में खुद पुलिस ने लिया हो वहां पर पुलिस कर्मी भी हों तो इससे एक संदिग्ध परिस्थिति बन जाती है। इस प्रकार सरेआम नेशनल हाई वे पर पुलिस अधिकारी की हत्या हो जाय दो आदमी भाग जाएं और तीसरा बदमाश भी हत्या करने के बाद भाग जाय इससे दर्दनाक बात और क्या हो सकती है। पुलिस वर्दी में अपनी ड्यूटी को अंजाम देते हुए मौके पर मारा जाए इसमें मुझे दो बातें कहनी हैं। हत्याएं तो होती रहती है लेकिन उसमें सरकार की तरफ से कार्यवाही भी होती है यहां अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए पुलिस अधिकारी मारा गया कम से कम सरकार की तरफ से अभी तक यह आ जाना चाहिए था कि उनके परिवार वालों को जो उस अधिकारी के ऊपर आश्रित थे कोई आर्थिक सहायता की घोषणा हो गई होती और उनको मिल गई होती दूसरी बात एक नियम भी है और परम्परा भी है कि ड्यूटी पर रहते हुए अगर किसी की मृत्यु हो जाती है या उसकी हत्या हो जाती है इसमें तो हत्या ड्यूटी निभाते हुए हुई है तो उसका कोई वयस्क पुत्र हो उसे क्वालीफिकेशन के आधार पर सरकारी नौकरी प्रदान की जाती है। यहां पर दोनों काम नहीं हुए हैं। एक मेरी मांग यह भी है कि जिन परिस्थितियों में यह घटना हुई है उन परिस्थितियों की केवल सामान्य जांच नहीं होनी चाहिए देखना यह भी चाहिए कि आखिर वह पुलिस कर्मी कौन साथ में थे किस आदमी ने हत्या कर दी कैसे वह कामयाब हो गया उनके साथ गाड़ी में ड्राइवर भी होगा ड्राइवर का क्या रोल है, पुलिस कर्मियों का क्या रोल है कैसे

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्विक्षण नहीं किया।

आदमी हत्या करने के बाद फरार हो गया जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार हत्यारों की पहचान हो गयी है पता चल गया है कि फलां-फलां हत्यारे थे समाचार-पत्रों में उनके नाम छप गए हैं, उनकी फोटो छप गई है लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि 6 तारीख की घटना है और आज 23 तारीख हो गयी है आज तक कोई हत्यारा गिरफ्तार नही किया जा सका है। यह किस प्रकार का शासन है, किस प्रकार की एजेन्सी है जिनके ऊपर हम लोगों की सुरक्षा निर्भर है ऐसे पुलिस के अधिकारी का हत्यारा नहीं पकड़ा जा सका है यह चिन्ता का विषय है। मैं चाहता हूं एक हत्यारे गिरफ्तार हों ताकि दूसरी घटना न हो सके। इस घटना में मुकदमा चलने वाला नहीं है क्योंकि जिनका इतना साहस है कि वह सरे आम हत्या कर दे उनके खिलाफ कौन गवाही देना चाहेगा जिनके खिलाफ आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। दूसरी बात जिसे मैं कह चुका हूं पुनः बल देता हूं और यह अपेक्षा करता हूं कि तुरन्त उस अधिकारी जिसने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए अपना बलिदान दिया है ऐसे अधिकारी के परिवार को जितनी अधिक से अधिक आर्थिक सहायता हो उसकी घोषणा सदन में हो जाय। तीसरी बात यह भी घोषणा हो जाय जो अभी तक होता रहा है कि किसी कर्मचारी की अगर सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाती है यहां तो उसने ड्यूटी के दौरान अपने कर्तव्य का पालन करते हुए बलिदान दिया है इसकी तुरन्त घोषणा हो जाय कि मृतक के परिवार के किसी वयस्क सदस्य को जितनी उसकी क्वालीफिकेशन है उसके अनुसार नौकरी प्रदान की जायेगी। इसके साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि यह महत्वपूर्ण विषय है इस पर कार्यवाही रोककर मैं चर्चा की मांग करता हूं। साथ ही साथ जैसी कि परम्परा रही है अगर चर्चा न स्वीकार करें तो कम से कम सरकार को वक्तव्य के लिए निर्देश दिया जाय। क्योंकि संसदीय कार्य मंत्री जी हो सकता है कि इस पर विचार न कर पाए हों इसलिए वक्तव्य में उनको समय मिल जाएगा और जांच के बाद एक विस्तृत वक्तव्य आ जायेगा उसके जांच के परिणाम भी आ जाएंगे।

श्री मोहम्मद आजम खां-

यह बहुत ही गम्भीर और संवेदनशील मामला है इसको जितना भी गम्भीरता से लिया जाय, कम है। यह कोई चर्चा की बात नहीं है हत्या हुई है, उसका मुकदमा कायम हुआ है। इसमें पहले तो हाथ में गोली मारी गयी और जब पिस्टल गिर गया उसके बाद हमला किया गया अपराधियों की इतनी हिम्मत हो गयी कि उन्होंने ड्यूटी के दौरान एक दरोगा की हत्या कर दी इसकी संवेदनशीलता इस मायने में है कि यह मिजाज बहुत कम रह गया है कि कहीं अपराधी खड़े नजर आयें तो कोई सूचना के बावजूद भी रुककर उनसे पूछने की हिम्मत नहीं होती। जिस तरह से उन्होंने हिम्मत की है जाहिर है कि वह काबिले तारीफ की बात है। इस सिलसिले में मैं नेता जी से अलग से बात कर लूंगा। मुकदमा तो कायम हो गया है, कार्यवाही होगी।

श्री हुकुम सिंह-

वक्तव्य आ जाय।

श्री मोहम्मद आजम खां-

वक्तव्य की कोई आवश्यकता नहीं होगी मैं कोशिश इस बात की करूंगा। जब नेता सदन आयें तो आप उनके सामने रखियेगा उनकी जबानी कुछ कहलवा दूंगा जो भी ज्यादा से ज्यादा सहायता हो

सकेगी वो मिलेगीं यह आम हालात की मौत नहीं है। खास हालात की मौत है। उन्होंने अपनी ड्यूटी को आगे बढ़कर अंजाम दिया है। नेता सदन का भी मिजाज जानते हैं ऐसे मामले में कोई कन्जूसी नहीं बरती जायेगी, सहायता दी जायेगी। मृतक के बच्चे की तालीम और उम्र के हिसाब से उसको सर्विस दी जायेगी।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय हुकुम सिंह जी और संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के बाद स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर दिया गया है। स्वयं संसदीय कार्य मंत्री ने इसको गम्भीरता से लिया है इसलिये यह प्रश्न ग्राह्य नहीं किया गया। अगली सूचना श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव जी की है।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

मान्यवर, कल सायंकाल लगभग 4 बजे के आस-पास लखनऊ विश्वविद्यालय में दो छात्र गुटों में आपस में पैसे के लेन-देन को लेकर विवाद इस सीमा तक बढ़ा कि गोलियां चलीं और गोलियों के चलने की आवाज सुनकर जब वर्तमान छात्र संघ के अध्यक्ष बजरंगी सिंह उर्फ बज्जू अपने साथियों के साथ बाहर निकले तो उन पर भी हमला करने की कोशिश की गई। उन्होंने दौड़कर गोली चला रहे लोगों को पकड़ लिया। इतने में वहां पुलिस भी आ गई। पूर्व महामंत्री और 5 अन्य लोगों के नाम दर्ज किये गये। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह वही विश्वविद्यालय है जहां इस देश के सबसे बड़े समाजवादी आचार्य नरेन्द्र जी कुलपति हुआ करते थे। वे 14 भाषाओं के विद्वान थे। चन्द्रभानु गुप्त जी, आदरणीय जुगल किशोर जी और कई अनेकों महानुभूतियों ने भी यहीं से पढ़ाई की थी। डा0 शंकर दयाल शर्मा जी भी यहां से निकले और वे भारत के राष्ट्रपति बने। ऐसा लखनऊ विश्वविद्यालय का माहौल था। मान्यवर, जब से वर्तमान कुलपति आये हैं तब से यहां पर अराजकता का माहौल पैदा हो गया है। आये दिन शिक्षक, कर्मचारी, छात्र आन्दोलन की राह पकड़ लेते हैं और इसका कुल कारण है लचर प्रशासन लखनऊ विश्वविद्यालय का। यह जो कल घटना घटी अगर इसको थोड़ा सा कन्ट्रोल करने की कोशिश की गई होती तो माहौल न बिगड़ता। नये परिसर में भी अराजकता फैली और जो बच्चे एग्जाम दे रहे थे उनकी कापी छीन ली गई, फाड़ दी गई। इतना ही नहीं डी0पी0ए0 विभाग के एक शिक्षक नन्दलाल भारती के पास दो छात्र नेता गये और उनसे कहा कि आप हमको प्रश्न बता दीजिये जो एग्जाम में आने वाले हैं। उन्होंने बताने से इन्कार कर दिया तो उनको लात घूंसों और चप्पलों से इतना मारा कि वे बलरामपुर अस्पताल में भर्ती है। मान्यवर, मैं संक्षेप में तीन बातें कहना चाहता हूं। एक तो यह कि विगत दिनों से लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर में अराजक तत्वों का वातावरण बन गया है इन पर अकुंश लगाने का प्रयास किया जाय।

शिक्षकों को तथा छात्र संघ के अध्यक्ष बजरंगी सिंह बज्जू की सुरक्षा की मैं मांग करता हूं। इसी लिए मैंने इस मामले को सदन में उठाया है।

श्री अधिष्ठाता-

इस बिन्दु पर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

* श्री राम इकबाल सिंह-

अधिष्ठाता महोदय, मैं एक ऐसी मानवीय घटना की तरफ जो इंसानियत को झकझोर देने वाली है, की तरफ आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मान्यवर, 20 तारीख को

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्विक्षण नहीं किया।

जनपद बलिया, हल्दी थाना के अन्तर्गत बजरहा गांव में 44 परिवार अनुसूचित जाति के और 17 परिवार अत्यन्त पिछड़े वर्ग के निवास करते हैं। किन्हीं कारणोंवश वहां आग लग गई। वहां पूरा परिवार झोपड़ियों में रहता है। एक भी पक्का मकान वहां नहीं है। यह हम सब लोगों के लिए बहुत अफसोस की बात है कि आजादी के 58 साल हमने पूरे कर लिए हैं, हमारे नागरिक, हमारी माताओं, बहनों को जाड़ा, गर्मी, बरसात में एक कमरा सिर छिपाने के लिए नहीं है। जब 48-49 सेल्सियस गर्मी पड़ेगी तो वह कैसे रहेंगी। यह पक्ष और विपक्ष का विषय नहीं है। इस पर गम्भीरता पूर्वक विचार नहीं हुआ है। 49 लाख की आबादी के बलिया में साढ़े सात लाख लोग झोपड़ियों में रह रहे हैं। वहां किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। हाईटेक सिटी बनाने के प्रयास चल रहे हैं जगह-जगह जमीन एक्वायर की जा रही है। बड़े-बड़े लोगों के लिए तरण-ताल बन रहे हैं लेकिन गरीबों की ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। गरीबों की झोपड़ियों का अंधकार दूर नहीं हुआ है। 44 परिवार अनुसूचित जाति के और 17 परिवार पिछड़े हैं यह तबाह हो गए हैं। गरीब मैदान में बैठे हुए हैं। परसों शाम तक कल दिन के दोपहर तक तीन बजे तक कोई अधिकारी वहां नहीं गया। अखबार वाले नहीं मिले। एक नेता जी गए जो प्रदेश स्तर के महामंत्री हैं। वह उन गरीबों को एक-एक संतरा दे रहे थे उन गरीबों ने संतरा फेंक दिया। यह घटना इंसानियत को झकझोरने वाली घटना है। मैंने 10-10 किलो चावल भेजा है। यह मेरे क्षेत्र का मामला नहीं है। यह इंसानियत का मामला है। सरकार चाहे तो सारे गरीबों को कोठरी दे सकती है। दिल चौड़ा करके। मैं सरकार से मांग करता हूं कि पांच रुपये रोज पर मजदूर गरीबों को, जो झोपड़ी में रहते हैं डेढ़ सौ रुपये महीने पर किसी बैंक से कर्जा दिला दें। 12 वर्ष के लिए वह डेढ़ सौ रुपया महीना करके गरीब किसी तरह भर देगा। वह अपने बच्चे को जाड़ा, गर्मी बरसात से बचा सकता है लेकिन यह सरकार संवेदनशील नहीं हैं। हम चाहते हैं इसमें पहल हो और 4 लेन 6 लेन का पैकेज ..

श्री अधिष्ठाता-

विषय पर रहें।

श्री राम इकबाल सिंह-

मैं सरकार से मांग करता हूं आजम खां जी बैठे हैं उनके बगल में प्रदेश के महत्वपूर्ण मंत्री जिनकी प्रदेश में धाक है, मैं उनसे अनुरोध करूंगा जो 44 अनुसूचित जाति और 17 पिछड़े वर्ग के परिवार हैं उनको एक-एक कमरे का आवास उपलब्ध करा दें। उनकी रोजी रोटी की व्यवस्था करा दें। एक-एक कमरा पक्का उपलब्ध करा दें। इस मामले पर मैं सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराने की मांग करता हूं जो लोग धूप में बैठे हैं उनके लिए व्यवस्था करा दें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

आरोप है सरकार के संवेदनहीन होने का मुतालबा संवेदनशीलता का है। दोनों बातों में मेल नहीं हो रहा है। मेरे ख्याल से माननीय सदस्य को सूचना कम है। सरकार इतनी संवेदनशील है कि जिस सरकार और जिस व्यवस्था से आपको छुटकारा मिला है, आठ साल, साढ़े आठ साल जिस सरकार में आप रहे हैं, 8 रुपये का पर्चा था खैराती अस्पताल का, आज वहां एक रुपये का पर्चा है। इण्टरमीडिएट पास करने वाली बालिकाओं को 20 हजार रुपये देने का निर्णय, यह संवेदनशील सरकार

का फैसला है। चाहे किसी को सांप ने काट लिया हो या ट्रैक्टर से मर जाए उसको पैसा देने का निर्णय, बेरोजगार नौजवानों को पेंशन की तरह बेरोजगारी भत्ता देने, बेवाओं, बुजुर्गों इन सबको पेंशन देने का निर्णय एक संवेदनशील सरकार के फैसले हैं। जो विषय आपने रखा है, वह भी संवेदनशील है और सरकार इसमें जो भी कर सकती है, वह करेगी।

श्री अधिष्ठाता-

अगली सूचना श्री ओम प्रकाश पाण्डेय जी की है।

श्री ओम प्रकाश पाण्डेय-

मान्यवर, मैं आपका ध्यान जनपद सुल्तानपुर के ग्राम केनौरा, पीपरपुर की घटना की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यहां के निवासी राम सागर वर्मा और बुधराम कोरी की नलकूप पर हत्या कर दी गई और फिर उन्हें जला दिया गया। जब गांव के लोग देखते हैं तो वह थाने को जाते हैं लेकिन थाना रिपोर्ट दर्ज नहीं करता है। उसके बाद गांव के लोग इकट्ठे होकर दुर्गापुर बाजार में घेराव करते हैं लेकिन पुलिस एफ0आई0आर0 दर्ज करने के बदले गांव वालों पर निर्दयतापूर्वक लाठी चार्ज करती है और लाठी चार्ज करके गांव वालों को वहां से भगा देती है। मान्यवर, इतने पर भी पुलिस का मनोबल और इच्छा पूरी नहीं होती है तब वह शाम को गांव में घुसकर, यहां गांव की एक महिला जिसकी सास का स्वर्गवास हो गया था, इतवारी देवी, उनकी शव-दाह यात्रा से लौट रहे लोगों को भी मारा-पीटा जाता है। इतना ही नहीं पुलिस के जवान उस विधवा को जिसका पति जलाया गया होता है, जिसकी हत्या होती है, सुभदा वर्मा द्वारा 30-40 किलोमीटर दूर, राम सागर वर्मा की उस बेवा को घर से निकाल कर पीटा जाता है, जब उसका विरोध किया जाता है तब उसकी जेठानी को भी पीटा जाता है। उसके बाद क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में जैसे कोई छावनी हो, कोतवाली अमेठी के थानाध्यक्ष, मुंशीगंज के थानाध्यक्ष और तमाम अन्य पुलिस के जवानों के द्वारा जिन घरों के लोग वहां पर विरोध में रहे होंगे, जो धरने पर गये रहे होंगे, उनके घरों के खिड़की और दरवाजों को तोड़ा जाता है। मान्यवर, माधवपुर के प्रधान की तलाश में पुलिस पूछतांछ करती है और 75 वर्ष की उसकी माता को भी पीटा जाता है। इतना ही नहीं दोनों गांवों के लगभग 100 लोग पुलिस के ताण्डव से डर कर घरों से भागे हुए हैं। यह कितना निर्दयतापूर्ण पुलिस का कार्य है ? रामगंज बाजार से झुरहू नाम का एक व्यक्ति लौट रहा था। उसको भी मारा-पीटा जाता है। विनोद, राजकुमार और कई अन्य छात्र जो हाई स्कूल की परीक्षा दे रहे थे उन बच्चों को भी पुलिस द्वारा पीटा जाता है। राम बहल के 4 वर्षीय उनके नाती का पैर तोड़ दिया जाता है। मान्यवर, आज पूरे क्षेत्र में भय व्याप्त हैं जिस चार वर्ष के बच्चे का पैर टूटा है, उसका इलाज नहीं हो पा रहा है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से और सरकार से चाहता हूं कि उस मृतक के परिवार को जहां दो-दो हत्याएं हुई है, 2 लाख रुपये की सहायता दी जाए ताकि वह किसी तरह से अपनी जीविका चला सकें और साथ ही जिन घरों को तोड़ा गया है और जो लोग घायल हुए हैं, उनको भी आर्थिक सहायता दी जाए तथा उनके इलाज की व्यवस्था की जाए।

मान्यवर, मैं सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराने की मांग करता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, मैं वहां मौके पर गया था। वहां पर पुलिस का ताण्डव हुआ है। लड़कों की हाई स्कूल की परीक्षाएं छूट गयी हैं। वहां पर कांग्रेस का प्रतिनिधि गया था, मैं वहां पर गया था और हमने वह गांव देखा है। उन गांव वालों का केवल अपराध इतना था कि उन्होंने उस घटना को लेकर धरना दे दिया था और फिर अमेठी के कई थानों की पुलिस ने वहां पर ताण्डव किया और बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों को निर्ममता से मारा-पीटा। इसमें हम शासन की तरफ से मृतक के परिवार वालों को आर्थिक सहायता दिए जाने की मांग करते हैं और दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध तत्काल कार्यवाही किए जाने की मांग करता हूं। वहां पर एक दरोगा जिसका नाम लोहा सिंह है उसने बहुत ताण्डव किया है। लोहा सिंह नाम होने का मतलब यह तो नहीं कि इस तरह से व्यवहार किया जाये। उनका स्थानान्तरण होना चाहिए और दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध मुकदमा लिखे जाने की मैं मांग करता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है।

श्री ओम प्रकाश (ओ0 पी0 सिंह)-

मान्यवर, 10-11 तारीख को ग्राम-किनौरा, थाना-अमेठी अन्तर्गत घटी यह दर्दनाक घटना है। मृतक श्री बुद्धराम कोरी और श्री राम सागर वर्मा ट्यूबवेल में रात को सोने गये। मृत पाये जाने पर पोस्टमार्टम में पाया गया कि उनकी जलकर मृत्यु हुयी थी। ग्रामवासियों ने इस पर मुकदमा लिखे जाने की मांग की थी, वह भी लोकतांत्रिक तरीके से। उन गांव वालों का अपराध केवल यह था कि वह शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे थे कि हत्या का मुकदमा लिखा जाये। जब पुलिस बल वहां पहुंचा तो य- पुलिस बल को नागवार गुजरा। उन्होंने गांव वालों पर लाठीचार्ज कर दिया। उसके 5-6 घण्टे बाद सी0ओ0 अमेठी ने ग्राम किनौरा पहुंचकर 70-70 साल तक के बुजुर्गों को, महिलाओं को, बच्चों को घरों से घसीट-घसीट कर बुरी तरह से मारा-पीटा। गांव वाले पुलिस के डर से गांव से पलायन कर गये और आज भी गांव के दर्जनों परिवार पुलिस के डर से लौटकर नहीं आए हैं। इस घटना की खबर जब पूरे जनपद में पता चली और तमाम राजनीतिक दलों के लोग वहां पर पहुंचने लगे तो पुलिस को लगा कि मामला सब लोगों की जानकारी में आ गया है इसलिए लीपापोती करने के लिए केवल थानाध्यक्ष को लाइन हाजिर कर दिया गया। वहां पर ऐसा लग रहा था कि जैसे एक देश की सेना ने दूसरे देश की सेना पर आक्रमण कर दिया हो। वहां के सी0ओ0 अमेठी ने गांव के बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों को पीटने का काम किया है। यह वास्तव में दर्दनाक घटना है। मैं केवल दो मांग करता हूं-एक तो यह कि मृतक श्री बुद्धराम कोरी और श्री रामसागर वर्मा के परिवार वालों को सरकार की तरफ से दो लाख रुपये का मुआवजा दिया जाये और इसी के साथ इस घटना के जो सबसे बड़े दोषी क्षेत्राधिकारी अमेठी, उनको तत्काल निलम्बित किया जाय। इसमें एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर इस प्रकरण की जांच करायी जाय और दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही की

जाय। अगर यह सरकार संवेदनशील है तो मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि इंसानियत के मुंह में कलंक पोतने वाले दोषी पुलिस कर्मियों को निलम्बित करके कार्यवाही करनी चाहिए और मृतक परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में दो-दो लाख तथा जो घायल हुए हैं, उसमें तमाम बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, उनको पचास-पचास हजार रुपये की सहायता दी जाय।

श्री अधिष्ठाता-

अब आपकी बात आ गयी है। बैठ जायें।

श्री ओम प्रकाश (ओ0पी0 सिंह)-

मान्यवर, हाई स्कूल की परीक्षाएं चल रही हैं और बच्चों को बन्द करके रखा है तो उन्हें छोड़ा जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस कार्य-स्थगन के प्रस्ताव पर बल देता हूं और यह मांग करता हूं कि सदन की कार्यवाही रोककर इसमें चर्चा करायी जाय।

श्री अधिष्ठाता-

इस बिन्दु पर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, घटना के दो हिस्से हैं-एक तो हत्याएं हुई हैं और दूसरा पुलिस रोल के बारे में शिकायत हैं इसमें महिला थानाध्यक्ष को निलम्बित किया है और जांच हो रही है, कार्यवाही हो रही है। सरकार ने इसे गम्भीरता से लिया है। एक निलम्बन हो गया है और भी कार्यवाही हो सकती है।

श्री जंग बहादुर सिंह-

मान्यवर, यह बड़ी गम्भीर घटना है इसमें पुलिस के खिलाफ एफ0आई0आर0 होनी चाहिए और इसकी विधिवत् जांच होनी चाहिए।

(श्री जगदम्बिका पाल के खड़े होकर बोलने पर)

श्री मोहम्मद आजम खां-

इसको गम्भीरता से लिया जा रहा है। सत्ता पक्ष के सदस्य खड़े हैं इससे गम्भीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। इसको गम्भीरता से लिया जायेगा और किसी भी गुनाहगार को, जिसकी शिकायत की गयी है, उसे छोड़ा नहीं जायेगा।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, हमने यह मांग की थी कि एस0ओ0 पीपरपुर और लोहा सिंह जो एस0आई0 है इनका ट्रांसफर किया जाय। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी इसको गम्भीरता से नहीं ले रहे हैं। यह सवाल अब न सत्ता पक्ष का है और विपक्ष का है अब यह दोनों तरफ का सवाल हो गया है। इसमें तत्काल एफ0आई0आर0 लिखी जानी चाहिए और कार्यवाही होनी चाहिए। जिस तरह से निरंकुश होकर महिलाओं की, बुजुर्गों की पिटाई की है वह शर्मनाक है। आज भी लोग वहां कराह रहे हैं। मैंने कहा कि स्थानान्तरण करदें आप कहते हैं कि स्थानान्तरण क्या होता है हम जांच करा रहे हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, इसमें चर्चा नहीं हो रही है। सरकार की तरफ से एक आश्वासन दे दिया गया है।

श्री ओम प्रकाश (ओ0पी0 सिंह)-

मान्यवर, यह बहुत बड़ी घटना हुई है। इसमें आप यह कर लें कि सरकार की तरफ से एक मंत्री भेजकर स्थिति दिखवा लें। यह दिखवा लें कि कितना बर्बरतापूर्ण अत्याचार पुलिस ने किया है उसके बाद जो भी निर्णय सरकार लेना चाहे वह ले।

* श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, यह बड़ी ही बर्बरतापूर्ण घटना है और मेरे बगल के क्षेत्र की है। जिस तरह से बर्बरतापूर्ण तरीके से घर से निकालकर मारा गया है, घसीट-घसीट कर मारा गया है, मैं सरकार से कहूंगा कि गलती उनकी है अपने सर पर मत लें। उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। आप अपने सहयोगी मंत्री, जो सत्ता पक्ष का हो भेज दें और वहां से लौटकर जो रिपोर्ट वह दें उसके अनुसार कार्यवाही करें। एक अधिकारी भेजकर जांच कराने से अच्छा है कि आप एक मंत्री को भेजकर जांच करा लें।

दो, तीन जिलों में फैजाबाद, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर में इस बात को लेकर बड़ा रोष है लोगों में, जिस तरह से तीन-चार घण्टे में पूरी पुलिस जिले की इक्ट्ठा करके औरतों को नहीं बख्शा, बच्चों को नहीं बख्शा, बुजुर्गों को नहीं बख्शा और गुनाह क्या था, चक्का जाम, रोज आप करते हैं, रोज हम करते हैं फिर कौन सा गुनाह था, मान लीजिए किसी पुलिस वाले के साथ मार-पीट हो जाती, कुछ घटना हो जाती, तब तो प्रतिक्रिया उचित थी। मैं इतना आग्रह करूँगा आपके माध्यम से एक विनय करूँगा संसदीय कार्य मंत्री जी से कि वह सदन को आश्वासन दे दें कि वह अपने किसी सहयोगी मंत्री से जांच करा के, 28 तारीख को जब सदन दोबारा बैठेगा तो अवगत करा दें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, जिस तरह का मामला है सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से है, यह तो मुनासिब नहीं रहेगा कि किसी मंत्री को भेजा जाय और उनसे जांच रिपोर्ट ली जाय। अगर कार्यवाही से संतुष्ट माननीय सदस्य नहीं होंगें तो किसी और भी तरह से जांच कराई जा सकती है और कार्यवाही से अगर मुतमईन हो जाय तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन कोई इसमें रियायत नहीं होगी। अगर अन्य जिले से भी इसमें जरूरत होगी तो वह भी करा ली जायेगी।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय राजभर जी आप कुछ कहना चाहते हैं ? माननीय राजभर जी खड़े हो गये हैं उन्हें पहले सुन लें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्विक्षण नहीं किया।

श्री सुखदेव राजभर-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जनपद फिरोजाबाद में एक भेंड़ी गांव है यह जसराना थाना है, विकास खण्ड भी है और तहसील भी है, वहां के रहने वाले हैं डॉ0 रामपाल सिंह यादव, यह डॉ0 रामपाल सिंह यादव वहां के जिला सहकारी बैंक के उपाध्यक्ष हैं, यह एक रजिस्टर्ड ठेकेदार हैं अ श्रेणी के, ए श्रेणी के, इस श्रेणी का जो ठेकेदार होता है उसको पुलिस द्वारा चरित्र प्रमाण-पत्र बनवाना पड़ता है और एक हैसियत प्रमाण-पत्र बनवाना पड़ता है तब जाकर उनका रजिस्ट्रेशन या मान्यतायें होती हैं ए श्रेणी के ठेकेदारों की। पुलिस जब तक उनके चरित्र को अच्छा नहीं लिखेगी तब तक उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। अब उनका एक दोष हो गया और जिसका यह फल भोग रहे हैं, पूरी विधान सभा के लोग अभी तक इस क्षेत्र समिति या जिला पंचायत या क्षेत्र समिति के अध्यक्ष के लिए कुछ सत्ता पक्ष के लोग चुनाव लड़ रहे थे, किसी का दम नहीं था कि उनके खिलाफ पर्चा दाखिल करे, केवल डॉ0 रामपाल सिंह यादव का एक दोष हो गया कि इन्होंनें नामांकन कर दिया, इनकी माता जी ने कर दिया और यह ब्लाक प्रमुख में नामांकन कर दिए, अब उसका नतीजा क्या भोगना पड़ा इनको, जिस पुलिस के चरित्र का उद्धरहण अभी दिया गया है, सीधे पुलिस या जिसके भी प्रभाव में रहा हो सत्ता पक्ष या किसी का भी प्रभाव यह रहा हो, उस पुलिस के लोग डॉक्टर साहब की मां के पास गये और कहा कि अपने बेटे को समझा दो, पर्चा वापस कर ले, वह इतनी बड़ी जुर्रत न करें डॉक्टर रामपाल सिंह यादव जो सत्ता पक्ष के किसी नुमाइंदे के खिलाफ क्षेत्र समिति, जिला पंचायत का चुनाव लड़ने जा रहे हैं।

अंत में मान्यवर और जो दुःखद घटना हुई, जो इनका पोलिंग एजेण्ट था, मतदान के दिन पुलिस ने उसको पकड़ा और मार-मार कर पोलिंग से भगा ले गये जब मतदान खत्म हो गया तब उस एजेण्ट को छोड़ा गया। आज स्थिति क्या है ? पूछिये मान्यवर, केवल एक चीज की जांच करा लें उस जसराना विधान सभा में जब से यह घटना घटी और जो डॉ0 रामपाल सिंह यादव के बारे में कुछ कहा या सुना कहीं हिमायती बनाने की कोशिश किया केवल एक जांच करा लें, दो महीने के अन्दर ढाई सौ लोग जेल में हैं, इस समय डॉ0 रामपाल सिंह यादव जेल में चले गये हैं, उनको बंद किया गया है, पूरा सबूत तैयार किया जा रहा है उनके खिलाफ जहां कहीं भी घटना घट रहीं है डॉ0 रामपाल सिंह यादव को मुल्जिम बनायें, पूरा नंगा नाच जो पुलिस का अभी चित्रण किया गया, मैं इतना ही कहूंगा मान्यवर, हमारे माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी बहुत विद्वान हैं, वास्तव में सदन में इनकी एक मिसाल है, लेकिन आज पुलिस का जो वातावरण बन रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं कि केवल विपक्ष के लोग रो रहे हैं, सत्ता पक्ष की तरफ भी हमारे माननीय सदस्य जंग बहादुर, तमाम साथी कहे, आज मान्यवर पुलिस का जो नंगा नाच है जिस तरह का वातावरण बन रहा है उसका जीता जागता उदाहरण डॉ0 रामपाल सिंह यादव जो जेल में, जिला पंचायत उपाध्यक्ष, कोआपरेटिव बैंक के उपाध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य, इनकी मां प्रधान, इनके परिवार के लोग क्षेत्र समिति के सदस्य, केवल मान्यवर, एक दोष बताया है कि सत्ता के प्रति इन्होंनें बहुत दिनों के बाद जों वहां जीतते थे, एक हौसला बढ़ा कि मैं भी चुनाव लडूंगा, उसका नतीजा है कि आज वह जेल में है। मान्यवर, मैं स्पेसिफिक फीगर दे रहा हूं। मान्यवर, अगर जसराना के 250 लोग बन्द न हुए हो तो आप चाहे तो इस नोटिस को अस्वीकार कर

दे। मान्यवर, आज पुलिस के रवैये के कारण किसी जनप्रतिनिधि की यह हिम्मत् नहीं है कि वह किसी दरोगा से फोन पर बात कर ले। मान्यवर, बड़े अधिकारी से तो बात हो जा रही है लेकिन सी0ओ0 और दरोगा से बात नहीं हो पा रही है। आज इन लोगों के हौसले बहुत बढ़ गये हैं। मान्यवर, अभी पिछले दिनों समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता को पुलिस ने थाने पर मारा। मान्यवर, अगर किसी एक घटना को लेकर आप चाहें तो सदन में चर्चा करा दें ताकि पुलिस के बढ़ते अत्याचारों पर सदन में चर्चा हो सके। मान्यवर, जो डॉ0 राम पाल सिंह यादव जी है वह ए0 श्रेणी के ठेकेदार हैं और उनकी मां प्रधान है। उनकी गलती यह थी कि उन्होंने आज तक जहां कोई विपक्ष का चुनाव नहीं लड़ा था और इस बार के चुनाव में उन्होंने नामांकन किया था और दूसरे पक्ष का यह सोचना था कि लोकतंत्र में कोई दूसरा उनके विरूद्ध खड़ा न होने पाये। बस इस दोष के नाते उनके ऊपर पुलिस का इतना बड़ा अत्याचार हुआ है और फर्जी 15-15 मुकदमें दर्ज हो चुके हैं। 250-300 लोगों को परेशान किया जा रहा है।

मान्यवर, सत्तापक्ष के लोग जो यहां बैठे है भले ही खड़े होकर इस नोटिस का खण्डन कर दें लेकिन वह भी पुलिस के अत्याचार के शिकार हैं आप भले ही 30 मिनट चर्चा करा लें लेकिन इस पर चर्चा अवश्य स्वीकार कर लें। ताकि पुलिस का जो आज चरित्र है, पुलिस के द्वारा जो अत्याचार हुए है। पुलिस की जो साजिश हो रही है उस पर चर्चा हो सके। मान्यवर, आज पुलिस के लोग इन कामों को करके चाह रहे हैं कि सरकार की बदनामी हो। तो ऐसे बदमाश दरोगा लोगों और पुलिस के लोगों के खिलाफ यहां चर्चा हो और यह सरकार कहें कि ऐसा गन्दा माहौल बनाने वाले दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। आप चाहे तो इसकी किसी भी एजेन्सी से जांच करा लें। मान्यवर, डॉ0 राम पाल सिंह यादव जी को फर्जी मुकदमों में फसाया गया है आप इसकी उच्च स्तरीय जांच करा लें। आज वहां 250 लोगों को प्रतिशोध की भावना के चलते जेल भेजा गया है, आप इसकी जांच करा लें।

मान्यवर, ऐसा इस प्रदेश के किसी कोने में आज तक नहीं हुआ होगा कि एक मुकदमें में 150 लोगों को अज्ञात दर्ज किया गया है। मान्यवर, अज्ञात में तो हम भी आ जाते हैं आप भी हैं। इसलिए यह मामला बहुत गंभीर है। पुलिस का अत्याचार मचा हुआ है, जसराना में, आप उसकी उच्च स्तरीय जांच करा लें और इन दोनों नोटिसों को मिलाकर इस पर चर्चा हो जाये। मान्यवर, आज 250 लोग बन्द हैं, इसकी ग्राह्यता है। आप इसकी ग्राह्यता को स्वीकार करते हुए इस पर चर्चा करा दें।

श्री अधिष्ठाता-

यह प्रश्न अस्वीकृत हो चुका है। लेकिन मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं कि इसकी गंभीरता को देखते हुए इस पर विचार कर लें।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार संवेदनशील होने का दम्भ भर रही है, संवेदनशीलता की दुहाई दे रही है और तमाम योजनाओं का जिक्र कर रही है, वही दूसरी तरफ प्रदेश के करोड़ो-करोड़ो लोगों की भावनाओं की उपेक्षा कर रही है। यह लोगों की भावनाओं से सीधा जुड़ा हुआ

प्रश्न है। करोड़ों लोगों की भावनाओं से जुड़े हुए प्रश्न के सम्बन्ध में सरकार ने अपनी संवेदन-शून्यता का परिचय दिया है और एक बार नहीं, दो बार नहीं, लगातार दे रही है। मान्यवर, ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश की जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं है, कोई जवाबदेह नहीं है, कोई उत्तरदायित्व की भावना नहीं है।

मान्यवर, यह पहली बार उत्तर प्रदेश के इतिहास में दर्ज होगा कि उत्तर प्रदेश से भारतीय क्रिकेट टीम में एक-दो नही, बल्कि चार-चार खिलाड़ी है। उनकी वर्षों की साधना और मेहनत से रणजी ट्राफी के फाइनल में यहां की टीम आयी है और रणजी ट्राफी के मैच का आयोजन हमारे घर में आया। मान्यवर, चाहे वन-डे मैच हो या कोई भी क्रिकेट का टेस्ट मैच हो उसको लोग देखते और सुनते हैं। खेत और खलिहानों में बैठे लोग रेडियो के माध्यम से उसकी कमेन्ट्री सुनते है। आफिस में लोग टी0वी0 और रेडियो लगाकर मैच को देखते और सुनते हैं। इस तरीके से यह प्रदेश के करोड़ो लोगों की भावना से जुड़ा हुआ प्रश्न है। एक तरफ तो मान्यवर, हम प्रदेश के खिलाड़ियों को देश की क्रिकेट टीम में भेज रहे हैं और जब उत्तर प्रदेश का रणजी ट्राफी का फाइनल मैच तय हो गया तो एक दिन पहले उस मैच के आयोजन स्थल के0डी0 सिंह बाबू स्टेडियम का आवंटन बिना किसी सूचना के रद्द कर दिया गया और यह कहा गया कि यू0पी0सी0ए0 पर कुछ लाख रुपया बाकी है। मान्यवर, आज आप क्रिकेट एसोसियेशन पर कुछ लाख रुपये बाकी होने की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ तमाम औद्योगिक घरानों के करोड़ों-करोड़ के बिजली बिल बाकी हैं लेकिन उनको उसके बावजूद भी बिजली दी जा रही है। लोगों को सहूलियत देने के लिए स्टाम्प ड्यूटी में छूट दी जा रही है। रजिस्ट्री में छूट दी जा रही है।

मान्यवर, करोड़ों अरबों रुपये की जनता की गाढ़ी कमाई को चूना लगाया जा रहा है और इसके बावजूद क्रिकेट जो करोड़ों को प्रभावित कर रहा है, मान्यवर, केवल झगड़ा सरकार का और यूपीसीए का है। इस झगड़े में प्रदेश की जनता के लिए कितना बड़ा इस उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर जनता के माथे पर कलंक है कि जो मैच इस लखनऊ में होना था वह मुम्बई में दो तारीख को होगा। इसके पहले इण्डिया और श्रीलंका का मैच जो कानपुर के ग्रीनपार्क स्टेडियम में होना था उसे कैंसिल किया गया और वह अहमदाबाद चला गया। उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी आज फाइनल में पहुंच रहे हों, टेस्ट मैच में पहुंच रहे हों और अब परफारमेंस क्रियेट करते, वह फाइनल मैच जनता देखती। राजधानी लखनऊ के हजारों लाखों लोग साक्षी होते तो उस समय यह मैच मुम्बई जाय यह शर्म की बात सरकार के लिए नहीं है ? जिस तरह से राष्ट्र मण्डल के खेलों में हम मेडल कर रहे हैं और मान्यवर, एक तरफ तो कहेंगे कि हमने खेल नीति बनायी है, खेलों का बढ़ावा दे रहे हैं और अगर मैं माननीय खेल मंत्री जी के समाचार वक्तव्य को पढ़ूं तो मैं यह भी कहूंगा कि इनमें संवेदनशीलता है क्योंकि जब इनसे पत्रकारों ने पूछा कि खेल स्टेडियम का कैंसिल हो गया आवंटन तो खेलमंत्री ने कहा मुझे जानकारी नहीं है इसका मतलब है कि कोई सुपरपावर भी है। जो खेलमंत्री को जानकारी न हो, विभाग के मंत्री हों, विभागीय मंत्री के बिना जानकारी के प्रदेश का देश का सबसे महत्वपूर्ण टूर्नामेन्ट का फाइनल मैच का दिया गया स्थल का आवंटन रद्द कर दिया जाय उन्होंने कहा मैं इसकी जानकारी करूंगा। इसका तात्पर्य है कि मंत्री जी की जानकारी में भी नहीं रहा। माननीय मंत्री जी चाहते भी नहीं

रहे होंगे कि इस तरह से प्रदेश की जनता के साथ खिलवाड़ हो और प्रदेश के ऊपर एक कलंक का धब्बा लगे। प्रदेश में पहली बार सुना, लखनऊ का स्टेडियम कैंसिल कर दिया और उसके पहले इण्डिया श्रीलंका का वन डे था उस समय कैंसिल कर दिया। इसका कोई जवाब है सरकार के पास, केवल इसलिए कि कुछ लाख रुपया हमारा किराया नहीं दिया।

मान्यवर, अगर देखा जाय तो प्रदेश के हर विभागों में लाखों करोड़ों रुपया लोगों का बकाया है लेकिन इसके बावजूद भी आज सरकार उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर रही है और जिसमें प्रदेश के करोड़ों लोगों की, गांवों की, जिसमें प्रदेश की जनता जुड़ी हुई है प्रदेश के लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है। उन भावनाओं के ऊपर कुठाराघात करते हुए, भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हुए, मान्यवर, प्रदेश के आज खिलाड़ियों का मनोबल गिरा है। एक तरफ कहते हैं कि खेल नीति है हम उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। यह प्रोत्साहन है कि आज यहां के खिलाड़ियों को अपने खेल के मैदान में खेलने का अवसर नहीं मिल रहा है। आज उनको स्टाइपेन्ड नहीं मिल रहा है आज उन तमाम एशोसिएशन को पैसा नहीं निर्गत किया जा रहा है। मान्यवर, यह किस तरह की कठिनाइयां हैं। आज जहां पूरी दुनिया में स्पोर्टस की बात हो रही है आज हमारे उत्तर प्रदेश में, मैं कह सकता हूं खिलाड़ी विरोधी सरकार हो गयी है, इनकी कोई खेल नीति नहीं है। और प्रदेश की जनता के साथ जहां एक तरफ खेल के संवर्धन की बात करते हैं, बढ़ावा देने की बात करते हैं। जो घटना हुई है इसके लिए सरकार को माफी मांगनी चाहिए और सरकार को सफाई देनी चाहिए और कारण स्पष्ट करना चाहिए कि किन कारणों से हमने स्टेडियम का आवंटन रद्द किया। मान्यवर, यह महत्वपूर्ण है, करोड़ो लोगों से जुड़ा हुआ है इसलिए लोकमहत्व का है, तात्कालिक है, सुनिश्चित घटना है, अविलम्बनीय है, सरकार की जवाबदेही है। यह ग्राह्यता के तीन बिन्दुओं की परिधि में आता है इसलिए इसकी ग्राह्यता पर सुन लें और ग्राह्यता पर सुनकर आप इसको कार्यस्थगन के रूप में कृपापूर्वक स्वीकार कर लें और इस पर पूरे सदन की चर्चा हो और चर्चा होने के बाद जो भी निष्कर्ष आता है उसके अनुरूप सरकार कार्यवाही करें। यह महत्वपूर्ण विषय है।

श्री प्रमोद कुमार-

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं। यह एक अत्यन्त भावात्मक विषय है जो खेल को जरा भी प्यार करते हैं उन्हें आघात लगा है इस समाचार से। हमारे विद्वान साथी जगदम्बिका पाल जी ने विस्तार से अपनी बाते कह दी है मैं उनसे भावनात्मक रूप से अपने को जोड़ते हुए दो तीन बाते कहना चाहता हूं। मान्यवर, यह पहली बार देश के इतिहास में हो रहा है कि क्रिकेट जबसे प्रारम्भ हुआ पहली बार उत्तर प्रदेश मे 4-4 खिलाड़ी प्रदेश के छोटे-छोटे शहरों से आकर भारत की टीम में आकर आज स्थान बना रहे हैं। मान्यवर, आज इस सच्चाइ से कोई इंकार नहीं कर सकता कि इस समय सर्वाधिक लोकप्रिय कोई खेल है जिससे सभी लोग जुड़े हुए हैं तो वह क्रिकेट है। मान्यवर, लेकिन जबसे हमारे खेल मंत्री चौधरी साहब आयें, मैं इनका आदर करता हूं, अपनी तरफ से इन्होनें कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन मैं नहीं जानता, कौन सी दिक्कत है, जो इनके हाथ बंध जाते हैं और जो यह चाहते हैं, वह कर नहीं पाते। मान्यवर, क्रिकेट को जो थोड़ा बहुत समझते हैं, वह जानते हैं कि इस खेल में पिच का बहुत महत्व होता है। आज हम रणजी फाइनल के लिये यहां की पिच को छोड़कर

बम्बई के वानखेड़े स्टेडियम मैच को भेज रहे हैं। यदि यहां पर मैच होता तो हमारे खिलाड़ी अपनी जानी पहचानी पिच पर खेलते, अपनी क्राउड के सामने खेलते, अपने लोग वहां हजारों की संख्या में मौजूद होते। लेकिन आपने उन खिलाड़ियों से उनकी होम पिच छीन ली, उनकी होम क्राउड छीन ली। अब अगर यह लोग मैच हारेगें तो आप कभी माफ नहीं किये जायेगें। मान्यवर, अभी कुछ दिन पूर्व भारत श्रीलंका का मैच ग्रीन पार्क में होना था, लेकिन आपने इस मैच के लिये ग्रीन पार्क उपलब्ध नहीं कराया और इस कारण भारत श्रीलंका का मैच नहीं हो पाया। इस कारण उत्तर प्रदेश का एक जो टेस्ट का स्टेट्स था वह भी समाप्त हो गया।

मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि रणजी फाइनल में उत्तर प्रदेश की टीम कभी पहुंचती नहीं थी, एक-दो ही उदाहरण है, जब वह फाइनल में पहुंची हो। अभी कुछ दिन पहले जब वह फाइनल में पहुंची तो सभी ने बहुत ही जोश के साथ इसका स्वागत किया था। मान्यवर, एक छोटी सी घटना है कि जिन लोगों ने वानखेड़े स्टेडियम की पिच देखी होगी, जहां हम खेलने जा रहे हैं, उसके मुकाबले यहां की पिच ऐसी थी, जिस पर खेलकर यहां के खिलाड़ी बड़े हुये थे, वह मैदान के एक-एक कोने से, कि इसकी लम्बाई-चौड़ाई कितनी है, किधर से धूप आती है, किधर नहीं, इन सब चीजों से वह बिल्कुल भिज्ञ थे, इस पर खेलने का जो एक मौका था, वह आपने उनसे छीन लिया और उन्हें इससे वंचित कर दिया। अब उस पिच पर मैच होने जा रहा जा रहा है, जहां रेलवे के सहायता के लिये उनके लोग होगें, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश से कितने लोग वहां जायेगें, उन खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिये ? यदि आप मुझसे पूछें तो मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, आपसे तो जब पत्रकारों ने पूछा तो आपने कहा कि मुझे तो मालूम नहीं। मैं आपको बेगुनाह मानता हूं, आपकी गलती नहीं है। लेकिन कोई मुझसे पूछे तो मैं सच्चाई को छिपाना नहीं चाहता। यदि मैं इसको छिपाऊंगा तो यह खेल के साथ द्वेष होगा, विश्वासघात होगा। सच्चाई क्या है, अधिष्ठाता महोदय, मैं इसको कहना चाहता हूं कि एक व्यक्ति जिसने कभी न बैट पकड़ा और न कभी बाल, कभी क्रिकेट के मैदान की ओर कदम नहीं रखे, आज वह क्रिकेट का मालिक बनना चाहता है। कुल मिलाकर क्रिकेट के खेल में आज राजनीति प्रवेश कर गयी है। सीधी-सीधी सी बात है कि आज खेल में राजनीति नहीं होनी चाहिये। आज वह व्यक्ति नहीं चाहता कि उत्तर प्रदेश में मैच हो। मैं चाहता हूं कि आप ठोस कारण दीजिए और सरकार को यह बताना चाहिए, स्पष्ट करना चाहिए कि वह कौन से कारण थे कि जिन कारणों से यहां का मैच छिन गया। आप शपथग्रहण के लिये तो स्टेडियम दे देते हैं, मेजर या माइनर इवेंट्स के लिये दे देते हैं, पोलियो के लिये दे दिया, कभी प्रदर्शन के लिये दे दिया, ठीक है, वह भी महत्वपूर्ण काम है लेकिन रणजी क्रिकेट का फाइनल उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की टीम खेलने जा रही हो, तो उसको मैदान नहीं देगें और मंत्री जी कहें कि कुछ मालूम नहीं। आपको यह बात गंभीर लगे या न लगे, लेकिन इससे करोड़ों खेल प्रेमियों की भावनाओं को आघात लगा है। आप इसे आलोचना के रूप में न लें, मैनें इस विषय को इसलिये उठाया है कि भविष्य में खेल के साथ इस तरह का मजाक न हो और आप इसके लिये कुछ करिये। आप सदन को बतायें कि इस मामले में दोषी कौन है। मान्यवर, यह तो कोई बात नहीं है कि उत्तर प्रदेश में तब तक क्रिकेट मैच न खेला जाय, जब तक वह व्यक्ति अध्यक्ष न बन जाये। मैं इस महत्वपूर्ण विषय पर केवल शासन का ध्यान आकृष्ट कराना नहीं चाहता,

बल्कि इसमें शासन का पक्ष जानना चाहता हूं। मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया।

खेलकूद एवं युवाकल्याण मंत्री (श्री आर0 के0 चौधरी)-

मान्यवर, विषय गम्भीर है और मैं उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों का सम्मान करता हूं और इसी नियति से पिछले दो साल से इस प्रकार के फैसले लिये गये हैं और अब उन फैसलों का नतीजा भी आना शुरू हुआ है। इसी का परिणाम है कि क्रिकेट जैसे खेल में उत्तर प्रदेश से एक नहीं, बल्कि चार-चार खिलाड़ी अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल में एक साथ सम्मिलित किये गये। मैंने खिलाड़ियों की पुरस्कार राशि को बढ़ाया है, खिलाड़ियों की डाइट मनी को बढ़ाया है, राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तर प्रदेश ने पहली बार किया है।

विपक्ष के अनेक सदस्य एक साथ-

केवल स्टेडियम के बारे में बतायें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

पहले पूरी बात सुन तो लें।

श्री आर0 के0 चौधरी-

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में पहली बार खेल को एक विषय बनाकर, उसे अनिवार्य किया गया है। जहां तक रणजी मैच के लखनऊ से बाहर जाने की बात है तो कौन सा मैच कहा होगा यह फैसला खेल संघ लेता है, उत्तर प्रदेश सरकार तो स्टेडियम बनाती है और उसे मुहैय्या कराती है, खिलाड़ियों को तैयार करती है, प्रशिक्षण कराती है। यह अचरज की बात है कि माननीय तिवारी जी और पाल साहब ने कह दिया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आवंटित स्टेडियम को निरस्त कर दिया, मान्यवर, उन्होंने आवंटन तो कराया ही नहीं। माननीय तिवारी जी, जब लड़की की शादी तय होती है तो पहले गेस्ट-हाउस उपलब्ध कराते है, जमीन की व्यवस्था कराते हैं, तब कार्ड बाद में बांटते हैं और यहां तो मान्यवर, प्रचार-प्रसार पहले ही कर दिया कि स्टेडियम नहीं दिया। निश्चित तौर पर अगर खेल संघ में नेता न हो करके खिलाड़ी ही हुआ करें तो खिलाड़ियों के साथ प्रदेश में ऐसा बर्ताव न हो। मान्यवर, हमने खुद प्रयास करके जब भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच कानपुर में होना था, उस समय भी क्रिकेट संघों ने ऐसा ही प्रचार-प्रसार किया कि सरकार ही क्रिकेट मैच नहीं कराना चाहती है। उस समय हमने विशेष दिलचस्पी ली और मैं तीन बार कानपुर गया, पूरा इन्तजाम कराया और खेल हुआ। मान्यवर, जब भारत और श्रीलंका का क्रिकेट मैच होने जा रहा था, तब भी स्टेडियम को बुक नहीं कराया गया। मान्यवर, हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में चाहे खेल संघ हो, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो या खेल डायरेक्ट्रेयेट हो, इन तीनों में समन्वय बने ताकि हम अधिक से अधिक सुविधायें दे सकें। इसीलिए इसी सदन में हमने एक खेल अधिनियम बनाया है लेकिन यह जो खेल संघ है, इसमें नेतागीरी ज्यादा होती है और वह किसी अधिनियम को मानते ही नहीं हैं। मान्यवर, निश्चित तौर पर हमने उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने का काम किया है और आगे भी करता रहूंगा।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, पूरी रामायण हो गयी, लेकिन वह बात नहीं आयी, जो हम सुनना चाह रहे थे कि किन कारणों से ऐसा हुआ ? मैं तो कहूंगा कि शर्म आनी चाहिए इस कारण को बताने के लिए कि खेल संघ ने ही खेल नहीं कराया, आखिर जब खेल संघ ने स्टेडियम मांगा तब आपने क्यों नहीं दिया, यह आप कौन सा जवाब दे रहे हैं। आखिर इसमें किसका अहम् आड़े आ रहा है, यह बतायें ? यह आप कैसी बात बता रहे हैं कि उन्होंने बुकिंग ही नहीं करायी थी। इसलिए नहीं दिया। उस दिन आप क्या कर रहे थे, मान्यवर, उस दिन वहां कौन सा मैच हो रहा था ? ऐसा कारण मत दीजिए, भावनाओं की बात कीजिए। हम खेल की बात कर रहे हैं, राजनीति की बात नहीं कर रहे हैं। अगर इस सदन में भी राजनीति होने लगे, तो ठीक है करिये। हम कुछ नहीं जानते लेकिन मैं इसलिए जानना चाहता हूं कि जिस दिन के लिए मैच प्रस्तावित था, उस दिन ऐसा कौन सा बड़ा मैच था जिसके लिए आपने मैदान नहीं दिया। वह कारण हमें बता दें।

श्री आर0 के0 चौधरी-

मान्यवर, मैंने पहले भी निवेदन कर लिया है, उत्तर प्रदेश में हमारे पास स्टेडियम हैं, उसको आवंटित करने की कोई प्रक्रिया होती है। आवेदन-पत्र दाखिल कर दिया, अभी तक खासकर क्रिकेट संघ है, एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के माध्यम से एप्लीकेशन डाल देते हैं, कोई मिलने नहीं आते। अगर हमारे आर0एस0ओ0 ने कहीं कोई गलत किया था, आवंटित नहीं किया था, मनमानी किया था, कहीं अन्याय किया था तो उसके ऊपर खेल निदेशक हैं, खेल सचिव हैं हम हैं, उनको मिलना चाहिए था और बताना चाहिए था कि हमें यह दिक्कत है, हम उसको दूर करते लेकिन एक पर्ची भेजकर चले गये। कभी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। हमने हमेशा उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों के हित में काम किया है और आगे भी काम करेंगे।

डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, इस मामले को मंत्री जी नाक का सवाल बना रहे हैं। जिस समय खेल संघ ने स्टेडियम मांगा था उस वक्त इसे देकर उत्तर प्रदेश की इज्जत बढ़ायी जा सकती थी उत्तर प्रदेश की इज्जत बचायी जा सकती थी, तो सरकार को कहीं प्रक्रिया को आड़े नहीं आने देना चाहिए था। अभी भी मंत्री जी सदन में इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इस प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए माननीय जगदम्बिका पाल और प्रमोद तिवारी जी जो कार्य-स्थगन का प्रस्ताव लाये हैं उस पर सरकार न तो गम्भीर है न संवेदनशील है, न उस सच को स्वीकार करने को तैयार है कि हमने अपने अहंकार के कारण उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों का गला घोंट दिया। इसलिए इस कारण से सरकार की नीति के विरोध में सदन से बहिर्गमन करते हैं।

(डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया।)

श्री अधिष्ठाता-

माननीय खेल मंत्री जी, माननीय सदस्यगण चाहते हैं कि किन कारणों से ऐसा हुआ, क्या प्रार्थना-पत्र आया था, कहां पर आया था, आपके संज्ञान में वह प्रार्थना-पत्र आया या नहीं आया। अगर नीचे स्तर पर आया तो उस पर क्या कार्यवाही हुई, यह माननीय सदस्यगण जानना चाहते है ?

श्री आर0 के0 चौधरी-

मान्यवर, प्रार्थना-पत्र आया था 21 मार्च को बाबू के0डी0 सिंह स्टेडियम बुक कराने के लिए। प्रार्थना-पत्र वहां है भी, लेकिन जो बाकी प्रक्रिया होती है उसको माना नहीं।

श्री प्रमोद कुमार-

मुझे आज इतनी दुःख और पीड़ा है। आपको दुःख और पीड़ा था कि अभी तक कहा नहीं, अब कह दिया तो क्या कोई नामांकन-पत्र हो गया कि उसमें एफेडिविड नहीं लगा था, निरस्त कर देंगें। अगर कोई कमी थी तो बुलाकर पूरा करा लेते। आपने खेलमंत्री जी के रूप में उत्तर प्रदेश की गरिमा की रक्षा क्यों नहीं की ? आपने क्यों नहीं कहा कि तुम्हारे एप्लीकेशन में यह कमी है इसे पूरा करो। मैं तो यह कहता हूं कि अगर उसमें कमी थी, कमी होती तो उत्तर प्रदेश के 17 करोड़ लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुये उसे दे देना चाहिए था। निश्चित रूप से अगर कमी थी तो कमियां ठीक करा लेते। मैं जानता हूं कि खेल मंत्री जी का दोष नहीं है। खेलमंत्री जी एक ऐसे मुकदमें की पैरवी कर रहे हैं जिस मुकदमें में उनका दोष नहीं है लेकिन यह बोल नहीं सकते, इनकी कमजोरी है, बुजदिली है। इनके खिलाफ, सरकार की इस भावना के खिलाफ मैं और मेरा दल सदन का बहिष्कार करता है। साधारणतः मैं अनुरोध नहीं करता, परन्तु मैं ब0स0पा0 से भी चाहूंगा कि इस खेल भावना को देखते हुए सम्पूर्ण विपक्ष बहिर्गमन करे जिससे कभी भविष्य में भी खेल के साथ क्रूर मजाक करने की नौबत न आये।

(श्री प्रमोद कुमार अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह बहुत ही शर्मनाक है प्रदेश और देश के खिलाड़ियों के मनोबल को गिराने का जो सबसे बड़ा अपराध सरकार ने किया है उसके लिए तो सार्वजनिक रूप से इन्हें खेद व्यक्त करना चाहिए था लेकिन खेद व्यक्त न करके, इस बात में इनका ईगो टकरा रहा है कि कोई इनके पास आकर के नतमस्तक नहीं हुआ, जी हुजूरी नहीं की, इनके चक्कर नहीं लगाये। ये जो हमारी राष्ट्रीय प्रतिभायें हैं, ये प्रतिभायें आकर इनके पैरों पर पड़ती तब जा करके यह करते। जिस तरीके से सरकार ने खिलाड़ियों के मनोबल को गिराने की साजिश की है, अपराध किया है, उसको देखते हुए बहुजन समाज पार्टी सदन से बहिर्गमन करती है।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया)

प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति न मिलने के सम्बन्ध में श्री स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर जारी चर्चा का स्थगन

श्री अधिष्ठाता-

इस मद को स्थगित करने का अनुरोध माननीय मंत्री जी ने किया है इसलिए इसको स्थगित किया जाता है।

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

कोई चर्चा करने वाला नहीं है इसलिए इसको समाप्त करें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं मौजूद हूं, चर्चा करा लीजिए।

उत्तर प्रदेश के नगर निगमों द्वारा जन सुविधाओं को उपलब्ध कराने हेतु मार्ग-दर्शक सिद्धान्त बनाये जाने के सम्बन्ध में डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चर्चा

डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, उत्तर प्रदेश के नगर निगमों में जन सुविधाओं को जनता को उपलब्ध कराने हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाये जाने की आवश्यकता है मान्यवर, मैंने नियम-52 में इस सम्बन्ध में सूचना दी थी और मैं आग्रह करूंगा कि मैंने चर्चा प्रारम्भ कर दी है आप इस चर्चा को आगे जारी रखने की कृपा करें।

श्री अधिष्ठाता-

इस पर चर्चा जारी रहेगी।

(तत्पश्चात डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, श्री प्रदीप जैन 'आदित्य' श्री मुंशीलाल गौतम के साथ भाजपा एवं कांग्रेस के अनेक सदस्य सदन के वेल में आ गये)

डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी- (सदन के वेल से)

मान्यवर, खिलाड़ियों के साथ सरकार ने जो व्यवहार किया है, सरकार के इस कदम का विरोध हम सामूहिक रूप से करते हैं। जब स्वीकृति का प्रार्थनापत्र प्राप्त हो गया था तो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से रणजी ट्राफी बम्बई चली गयी। यह खिलाड़ियों के साथ अन्याय हुआ है। इससे प्रदेश की गरिमा गिरी है। जिस मंत्री ने ऐसा किया है वह सन्तोषजनक उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे मंत्री को सरकार में रहने का हक नहीं है। सरकार, सदन में वक्तव्य दे कि वह कौन सी परिस्थितियां थीं जिनके कारण स्टेडियम नहीं दिया गया है। यह प्रदेश के खिलाड़ियों का अपमान है।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, प्रार्थना-पत्र दिया गया है। प्रार्थना-पत्र रीजनल स्पोर्ट्स अफसर को दिया जाता है। माननीय मंत्री जी सदन को गुमसाह कर रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता-

यह विषय अस्वीकार कर दिया गया है। हम आगे बढ़ गये हैं। मा0 बाजपेयी जी आप अपना स्थान ग्रहण करें।

डॉ लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, इस विषय पर चाहे कांग्रेस हो, चाहे ब0स0पा0 हो, चाहे भाजपा हो समूचे विपक्ष के हम लोग एक हैं।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, यह करोड़ों लोगों की भावनाओं से जुड़ा सवाल है।

(व्यवधान के मध्य)

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अधिष्ठाता-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 23 मार्च, 2006 की बैठक में यह सिफारिश की है कि सदन के दिनांक 24 से 28 मार्च, 2006 तक का कार्यक्रम निम्न प्रकार रखा जाय:-

मार्च, 2006

24 शुक्रवार 25 शनिवार 26 रविवार	बैठक नहीं होगी।
27 सोमवार	1-निधन के निर्देश। 2-मंगलायतन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2006 पर विचार एवं उसका पारण-आधा घन्टा।
28-मंगलवार	बैठक होगी। सदन के शेष कार्यक्रम के बारे में सूचना यथासमय दी जायेगी।

डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

दिहाड़ी मजदूरों को फलां तारीख को नौकरी पर बुलाया जायेगा, यह जो कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिशें हैं यह दिहाड़ी मजदूरों को किस तारीख को काम दे रहे हैं, यह घोषणा कर रहे हैं।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिशों विषयक जो सूचना माननीय अधिष्ठाता महोदय ने सदन को दी है उससे यह सदन सहमत है।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिशों के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव मा0 संसदीय कार्यमंत्री ने प्रस्तुत किया है उससे यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अधिष्ठाता-

आप लोग कृपया अपने-अपने आसन पर जांय।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (क्रमागत)

श्री जगदम्बिका पाल-

आज पूरे प्रदेश का अपमान हुआ है। करोड़ों खेल प्रेमियों व खिलाड़ियों की भावनाओं का अपमान हुआ है। आर0 एस0 ओ0 को दरखास्त दे दी थी फिर भी आवंटन निरस्त किया गया। इसके बावजूद भी जो मंत्री जी कह रहे हैं कि यह निश्चित तौर पर सदन को गुमराह करने वाली बात है। मंत्री जी सदन को गम्भीरता से नहीं ले रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता-

यह विषय हो चुका है। हमने अगली मद ले ली है।

(वेल में उपस्थित सदस्य खेल विरोधी नारे लगाते रहे।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अधिष्ठाता-

आज दिनांक 23 मार्च, 2006 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 33 सूचनाएं प्राप्त हुई :-

पहली सूचना श्री सुखदेव राजभर की गाजियाबाद प्राधिकरण के अन्तर्गत आवंटित भूखण्ड श्री मोहन सिंह पुत्र श्री अमर सिंह, जनकपुरी, नई दिल्ली को आवंटन एवं सम्पूर्ण धनराशि जमा करने के बाद भी रजिस्ट्री न किये जाने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है। दूसरी सूचना श्री रणवीर राणा की पी0एम0एच0एस0 संवर्ग उत्तर प्रदेश के कैडर रीस्ट्रक्चरिंग के अन्तर्गत विशेषज्ञ संवर्ग एवंसुपर स्पेशलिस्ट विशेषज्ञ संवर्ग की संरचना किये जाने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है। तीसरी सूचना श्री हरि प्रताप सिंह की जनपद प्रतापगढ़ के चंधईपुर ब्लाक में सड़क निर्माण मानक के अनुरूप न किये जाने एवं सरकारी धन का दुरुपयोग किये जाने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है। चौथी सूचना श्री शिशुपाल सिंह यादव की जनपद एटा स्थित मे0 बी0 एस0 ट्रेडिंग कम्पनी द्वारा लाखों लीटर मिट्टी के तेल की कालाबाजारी किये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है। पांचवीं सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की जनपद शाहजहांपुर स्थित तिलहर व पुवाया शुगर मिल के बन्द होने से गन्ना किसानों के करोड़ों रुपये के बकाये गन्ने के भुगतान से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है। छठी सूचना श्री रामकरन आर्य की श्री कृष्ण कुमार सिंह ग्राम खन्दवा, जिला बलिया की अग्निकाण्ड से हुए नुकसान की सहायता हेतु जिलाधिकारी की रिपोर्ट के बाद भी अभी तक सहायता धनराशि उपलब्ध न कराये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है। सातवीं सूचना डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा की जनपद जालौन में कालपी स्थित बीरबल का महल "रंगमहल" पर अतिक्रमण किये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है। आठवीं सूचना श्री दयाराम की जनपद कौशाम्बी के विधान सभा क्षेत्र चायल में ग्रामीण विद्युतीकरण के अन्तर्गत अधूरे ग्रामों का विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है। नौवीं सूचना श्री राम विशुन आजाद की जनपद गोण्डा के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की जाती है। दसवीं सूचना श्री ओम प्रकाश पाण्डेय की सुल्तानपुर-इलाहाबाद रोड के रेलवे क्रासिंग गुमटी नं0-74-बी/ई-2 पर ओवरब्रिज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की जाती है। ग्यारहवीं सूचना श्री राम नरेश

यादव की जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र फूलपुर के सम्पर्क मार्गों तथा सड़कों की मरम्मत/सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की जाती है। बारहवीं सूचना श्री रंगनाथ मिश्र की जनपद सन्त रविदास नगर (भदोही) स्थित चौरी में 132 के0वी0 सब स्टेशन का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की जाती है। तेरहवीं सूचना डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की मेरठ नगर निगम बोर्ड द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर स्वकर निर्धारण कराये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की जाती है। निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत हुईं :-- श्री विश्राम सिंह यादव, श्री पूर्णमासी देहाती, श्री मदन चौहान, श्री ओम प्रकाश (ओ0 पी0 सिंह), श्री प्रागीलाल अहिरवार, डा0 विनोद तिवारी, श्री कौशल किशोर, श्री राम इकबाल सिंह, श्री महेश त्रिवेदी, श्री लल्लू सिंह, श्री धर्मपाल सिंह, श्री जियाउद्दीन रिजवी, डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल, श्री उदयराज यादव, श्री रामचन्द्र यादव, श्री रविन्द्र पुण्डीर, श्री मुंशीलाल गौतम, श्री कल्याण सिंह दोहरे, श्री राम प्रताप सिंह तथा श्री कपिलदेव यादव।

(माननीय सदस्य सदन के वेल में खड़े होकर 'खेल विरोधी' और खेल मंत्री को बर्खास्त करने सम्बन्धी नारे लगाते रहे)

जनपद गाजियाबाद में रिलायन्स पावर प्रोजेक्ट हेतु किसानों की अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा न दिये जाने के सम्बन्ध में श्री नरेन्द्र शिशौदिया द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

जनपद गाजियाबाद में गैस आधारित तापीय विद्युत संयंत्र ऊर्जा अनुसंधान एवं विकास केन्द्र की स्थापना तथा अन्य सम्बन्धित औद्योगिक विकास हेतु ग्राम बर्झयाखुर्द.....

श्री अधिष्ठाता-

इसको पढ़ा हुआ माना जाता है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, अभी बहुत बाकी है। पढ़ा हुआ नहीं माना जायेगा।

श्री अधिष्ठाता-

इसको पढ़ा हुआ मान लिया है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[रकबा 108.878 है0 नन्दलालपुर रकबा 134.505 है0 जादोपुर रकबा 118.246 है0 देहरा 27.838 है0 बहरमंदपुर, रकबा 123.709 है0 ककराना, रकबा 297.734 है0 धौलाना रकबा 82.539 है0 कुल 903.449 है0 की भूमि अर्जित की जा रही है उक्त योजना से प्रभावित राजस्व ग्रामों की भूमि की विज्ञप्ति अन्तर्गत धारा-4(1)/17 संख्या-406 पी-3 24-204-4 (भू0 अर्जन)-2004 लखनऊ दिनांक 11 फरवरी, 2004 को शासन द्वारा जारी की गई जिसका उ0 प्र0 असाधारण गजट में दिनांक 11 फरवरी, 2004 को प्रकाशन हुआ शासन द्वारा जारी की गई उक्त विज्ञप्ति को दो समाचार पत्रों

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

"राष्ट्रीय सहारा" एवं "दैनिक जागरण" में दिनांक 13 मार्च, 2004 को प्रकाशन हुआ जिसकी स्थानीय सूचना मौके पर दिनांक 2 अप्रैल 2004 में नियमानुसार की गई। धारा-6 (1)/17 संख्या 1582/24-पी-3-2004-4 (भू0अर्जन)-2004 लखनऊ दिनांक 25 जून 2004 को शासन द्वारा निर्गत की गई जिसका उ0 प्र0 असाधारण गजट में दिनांक 25-06-2004 को प्रकाशन हुआ। शासन द्वारा जारी की गई उक्त विज्ञप्ति को दो समाचार पत्रों "राष्ट्रीय सहारा" एवं "दैनिक जागरण" में दिनांक 27 जून 2004 को प्रकाशन हुआ जिसकी स्थानीय सूचना मौके पर दिनांक 1 जुलाई, 2004 में नियमानुसार की गई।

अर्जनाधीन भूमि से प्रभावित भू-स्वामियों द्वारा अर्जनाधीन भूमि की दर समझौते के आधार पर निर्धारित करने हेतु कृषक प्रतिनिधियों की एक समिति महाराणा प्रताप संघर्ष समिति का गठन किया गया। इस समिति के पदाधिकारियों/प्रतिनिधियों द्वारा जिला प्रशासन से प्रतिकर की दर आपसी समझौते के आधार पर करार नियमावली 1997 के अन्तर्गत अर्जनाधीन भूमि की प्रतिकर दर रु0 150/- प्रति वर्ग गज (जिसमें 30 प्रतिशत सोलेशियम, 12 प्रतिशत वार्षिक अतिरिक्त प्रतिकर आदि सभी लाभ सम्मिलित है) तथा भूमि पर स्थित परिसम्पत्ति का मूल्यांकन विशेषज्ञ सरकारी विभाग ने कराया जाकर उस पर भूमि अध्याप्ति अधिनियम के अन्तर्गत नियमानुसार देय प्रतिकर पर 30 प्रतिशत सोलेशियम 12 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर एवं ब्याज नियमानुसार भुगतान किये जाने के पर दोनों पक्षों में सहमति हुयी। उल्लेखनीय है कि उक्त सात ग्रामों की अर्जनाधीन भूमि के सम्बन्ध में प्रतिकर की दर निर्धारित करने हेतु विज्ञप्ति अन्तर्गत धारा-4(1)/17 की तिथि 11-2-04 से एक वर्ष पूर्व की अवधि में सम्पादित हुये विक्रय पत्रों का संकलन कराया गया, संकलित विक्रय पत्रों का परीक्षणोपरान्त अधिकतम दर के विक्रय-पत्र ग्राम देहरा में रु0 93.98 प्रति वर्ग गज, धौलाना रु0 50.49 प्रति वर्ग गज, ककराना रु0 44.00 प्रति वर्ग गज, बहरमन्दपुर रु0 44.60 प्रति वर्ग गज, बझैड़ाखुर्द रु0 36.50 प्रति वर्ग गज, जादोपुर रु0 44.00 प्रति वर्ग गज एवं नन्दलालपुर रु0 36.78 प्रति वर्ग गज निष्पादित होना पाये गये।

अतः चूंकि उक्त ग्रामों में निष्पादित विक्रय पत्रों का परीक्षण करने के उपरान्त ही किसानों की मांग को दृष्टिगत रखते हुये न्यायहित में उ0 प्र0 भूमि अर्जन (करार द्वारा प्रतिकर की अवधारणा और अधिनिर्णय की घोषणा) नियमावली 1997 के प्रावधानों के अन्तर्गत भू-स्वामियों एवं अर्जन निकाय के मध्य समझौते के आधार पर रु0 150/- प्रति वर्ग गज की प्रतिकर की दर तय की गई, जिसके आधार पर क्षेत्र के प्रभावित भू-स्वामियों द्वारा अपने प्रतिकर की धनराशि प्राप्त कर ली गई है।]

जनपद चन्दौली के रामनगर स्थित स्पंज आयरन कम्पनी द्वारा प्रदूषण फैलाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राम किशुन द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पर्यावरण मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य सदन की सहमति से पढ़ा हुआ माना गया)

पर्यावरण मंत्री (श्री उज्जवल रमण सिंह)-

[जनपद चन्दौली के औद्योगिक क्षेत्र रामनगर के अन्तर्गत मे0 बाबा विश्वनाथ आयरन प्रा0 लि0, रामनगर, चन्दौली एवं मे0 एस0 ए0 आयरन एण्ड एलायज प्रा0 लि0 जीवनाभपुर चन्दौली नामक

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

दो स्पंज आयरन की फैक्ट्रियां वर्तमान में संचालित हैं। मे0 बाबा विश्वनाथ आयरन प्रा0 लि0 रामनगर, चन्दौली का नवीनतम निरीक्षण राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी स्तर से दिनांक 22-12-2005 को कराया गया, इस उद्योग में स्पंज आयरन 150 मी0 टन/दिन का उत्पादन मार्च, 2005 से प्रारम्भ किया गया। इस उद्योग में वांछित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित है एवं दिनांक 22-12-2005 को परिवेशीय वायु गुणता का अनुश्रवण किया गया, जिसमें सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन की मात्रा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्धारित मानकों के अनुरूप पाया गया।

मे0 एस0 ए0 आयरन एण्ड एलायज प्रा0 लि0 जीवनाभपुर, चन्दौली के नवीनतम निरीक्षण राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी स्तर से दिनांक 6-1-2006 को कराया गया। इस उद्योग में स्पंज आयरन 200 मी0 टन/दिन का उत्पादन फरवरी, 2004 से प्रारम्भ किया गया। इस उद्योग में वांछित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित है एवं दिनांक 6-1-2006 को चिमनियों का अनुश्रवण किया गया, जिसमें सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन की मात्रा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्धारित मानकों के अनुरूप पाया गया।]

वाराणसी महानगर के शिवपुरवा स्थित सगरा ताल की जमीन को अनधिकृत रूप से कब्जा किये जाने एवं इस पर आवासीय भवन बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी' द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य

[सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया]

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

[प्रश्नगत प्रकरण पर जिलाधिकारी वाराणसी से जांच आख्या प्राप्त की गयी। जांच आख्या में अवगत कराया गया कि तहसीलदार/उपजिलाधिकारी सदर, वाराणसी की जांच आख्या के अनुसार मौजा-शिवपुरवा, परगना-देहात अमानत, तहसील-सदर, वाराणसी स्थित आ0 नं0-89 रकबा 2-294 हे0 जिल्द बन्दोबस्त 1291 फ0 में तालाब के खाते में अंकित था। वर्तमान खतौनी 1410 लगायत 1415फ0 में उक्त आ0नं0 89 रकबा 2-294 हे0 श्रेणी-3क (असामी के खाते में) में कुल 15 खातेदारों के नाम अंकित है। उक्त तालाब "सगरा ताल" नाम से प्रसिद्ध है। उक्त खातेदारों में से कुछ खातेदारों द्वारा उक्त भूमि का अन्तरण भी कर दिया गया है। मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्देश दिनांक 25-7-2001 के अनुपालन में प्रकरण की जानकारी होने पर तत्काल मौके पर यथास्थिति बनाये रखने हेतु सम्बन्धित थानाध्यक्ष-सिगरा/तहसीलदार सदर/नायब तहसीलदार शहर, वाराणसी को निर्देश जारी कर दिया गया है। साथ ही असामी खातेदारों, जिनके नाम खतौनी में अंकित है, को अनेक स्वामित्व के सम्बन्ध में जांच हेतु नोटिस विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत जारी कर दी गई है।]

जनपद प्रतापगढ़ के ग्राम कोहरांव स्थित श्री इन्द्रजीत व श्री रणजीत एवं श्री महादेव के विरुद्ध अनेकों अपराधिक मुकदमें दर्ज होने के बाद भी उनकी गिरफ्तारी न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो सदन की सहमति से पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

[पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ की आख्यानुसार सर्किल पट्टी के थानों (पट्टी, कन्धई, आसपुर देवसरा) में क्रमशः 3 ब्लाक, पट्टी बाबा वेलखरनाथ धाम, आसपुर देवसरा स्थित है। उक्त ब्लाकों में से ब्लाक पट्टी के ब्लाक प्रमुख पद का चुनाव मा0 चुनाव आयोग के निर्देशानुसार स्थगित कर दिया गया है। शेष दोनों ब्लाकों में चुनाव दिनांक 27-2-06 को सकुशल सम्पन्न कराया गया है।

थाना पट्टी में दो राजनैतिक पार्टी के मध्य अपने-अपने प्रत्याशी को जिताने को लेकर कार्यकर्ताओं में दिनांक 25-2-06 को पट्टी में विवाद हुआ जिसके सम्बन्ध में दोनों पक्षों द्वारा अभियोग पंजीकृत कराया गया, जिसका मु0अ0सं0-37/06 धारा-395, 397 भा0द0वि0 तथा मु0अ0सं0-37ए/06 धारा-395, 397 भा0द0वि0 है। दिनांक 25-2-06 को कुछ लोगों द्वारा थाना परिसर में घुसकर सरकारी कार्य में बाधा डाली गयी जिसके सम्बन्ध में थाना पट्टी पर नियुक्त उप निरीक्षक श्री योगेन्द्र कुमार द्वारा मु0अ0सं0-38/06 धारा-147, 332, 353 भा0द0वि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

दिनांक 27-2-06 को पूर्व सांसद श्री सी0 एन0 सिंह द्वारा रिपोर्ट अंकित कराई गई कि वह बाबा वेलखरनाथ धाम जा रहे थे तो उमेश सिंह आदि 5 नामजद व 6-7 अन्य द्वारा उनके वाहन पर ईंट पत्थर फेंक कर नुकसान किया गया तथा गाली गलौज आदि दी गयी, जिस पर मु0अ0सं0-32/06 धारा-147, 352, 336, 504, 506, 427 भा0द0वि0 का अभियोग थाना कन्धई पर कायम किया गया।]

(घोर व्यवधान के मध्य)

(सदन के फ्लोर पर आए हुए सदस्य नारे लगा रहे थे)

(व्यवधान)

जनपद बस्ती के बहादुरपुर अन्तर्गत महुआ डाबर को पुरातत्व विभाग द्वारा सुन्दरीकरण कराने एवं ऐतिहासिक स्थल घोषित किये जाने के सम्बन्ध में श्री राम करन आर्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर पर्यटन मंत्री का केवल वक्तव्य का स्वगन

श्री अधिष्ठाता-

मदसंख्या-18 स्थगित है।

जनपद पीलीभीत के पूरनपुर क्षेत्र में पल्स पोलियो दिवस के दिन प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा उपस्थित न होने के सम्बन्ध में डा0 विनोद तिवारी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मा0 सदस्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में यह उल्लेख किया गया है कि मेरे निर्वाचन.....

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

एक सदस्य-

पढ़ा हुआ माना जाए।

श्री अधिष्ठाता-

वक्तव्य पढ़ा हुआ माना जाता है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

अभी तो मैं पढ़ ही रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता-

पढ़ा मान लिया गया है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

क्षेत्र 44-विधान सभा पूरनपुर में रविवार दिनांक 27-11-2005 को राष्ट्रीय कार्यक्रम पल्स पोलियो दिवस पर प्रशासनिक अधिकारी बनाम पत्रकार के मध्य खेले गये क्रिकेट मैच में उप जिलाधिकारी, पूरनपुर, पुलिस क्षेत्राधिकारी, पूरनपुर, तहसीलदार, पूरनपुर, नायब तहसीलदार अंजुम आदिल, मनोज कनौजिया, इंस्पेक्टर कोतवाली, पूरनपुर, चौकी इंचार्ज, घुंघचिहाई, थानाध्यक्ष, माधोटाण्डा द्वारा भाग लिया गया। आयुक्त, बरेली मण्डल तथा जिलाधिकारी, पीलीभीत से शिकायत किए जाने पर कार्यवाही से बचने हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पूरनपुर आ करके हस्ताक्षर कर दिए गये। प्रदेश को पोलियो मुक्त राष्ट्र बनाने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा अरबों रुपये व्यय किया जा रहा है, वहीं स्थानीय प्रशासन द्वारा ऐसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रम में सहभागिता न कर पूरे दिन क्रिकेट मैच खेलकर नौनिहालों के जीवन से खिलवाड़ करने वाले प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की मांग की गयी है।

इस संबंध में जिलाधिकारी, पीलीभीत को प्रकरण की जांच कराकर जांच आख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित कर दिया गया है। जिलाधिकारी की जांच आख्या प्राप्त होने पर तद्नुसार कार्यवाही की जायेगी।]

श्री अधिष्ठाता-

अब हम उठते हैं। 27 तारीख को 11.00 बजे पुनः बैठेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 03 बजकर 50 मिनट पर सोमवार दिनांक 27 मार्च, 2006 को दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

दिनांक 23 मार्च, 2006

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,

प्रमुख सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पी0एस0यू0पी0-एल0-92 विधान सभा (152)-19-6-06-813 (कम्प्यूटर)।